Thursday, 17 December, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation 27-5-92
Fumigated On 14-12-83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 24, गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1964/26 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
547	बंबई में तस्कर व्यापार	2107–10
548	मेडिकल कालेजों में दाखिलें	2110–13
549	जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन . . .	2113–16
550	केरल की परिवार नियोजन योजना . . .	2116–18
551	सिंचाई परियोजनायें	2118–20
552	नई दिल्ली में बिजली की दरें	2120–23
553	नदी बोर्ड	2123–24
555	राज्यों द्वारा किया जाने वाला व्यय	2124–26

अल्प सूचना प्रश्न—

संख्या		
6	नागालैंड की विधान सभा के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	2126–30

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
554	ग्राम्य विकास	2130–31
556	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा व्यापार गृहों पर छापा . .	2131
557	बरौनी औद्योगिक पट्टी . .	2131
558	क्वार्टरों का आउट आफ टर्न दिया जाना . .	2132
559	भारत-पाक सीमा पर तस्कर व्यापार	2132
560	ब्रिटेन में बैंक दर में वृद्धि . .	2132–33
561	आसाम में वित्तीय संकट . .	2133
562	नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद	2133

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 24 *Thursday, December* 17, 1964/*Agrahayana* 26, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	*Subjects*	*Pages*
547	Smuggling in Bombay	2107–10
548	Admission to Medical Colleges	2110–13
549	Investment by L.I.C.	2113–16
550	Kerala Family Planning Scheme	2116–18
551	Irrigation Projects	2118–20
552	Power Rates in New Delhi	2120–23
553	River Boards	2123–24
555	Expenditure by States	2124–26

SHORT NOTICE QUESTION—

No.		
6	Resignation of Nagaland Legislators	2126–30

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.		
554	Rural Development	2130–31
556	Raids on Business Houses by Enforcement Directorate	2131
557	Barauni Industrial Belt	2131
558	Out of turn Allotment of Quarters	2132
559	Smuggling on Indo-Pak Border	2132
560	Increase in Bank Rate in U.K.	2132–33
561	Financial Crisis in Assam	2133
562	Shri Sriram Durga Prasad of Nagpur	2133

---

*The sign + marked above the name of Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
563	छितौनी बांध	2134
564	परादीप पत्तन	2134
565	बिजली की दर	2134–35
566	पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	2135

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1474	उड़ीसा में पीने के पानी की सम्भरण योजना	2135–35
1475	मानसिक रोग अस्पताल	2136–37
1476	अल्पविकसित क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	2137
1477	ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सम्भरण योजनायें	2137
1478	रंग रोगन के लघु उद्योग पर उत्पादन शुल्क	2137–38
1479	राकफैलर प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान	2138
1480	औद्योगिक बस्तियों के लिये वित्त-प्रबन्ध	2138–39
1481	बचत	2139
1482	जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण	2139
1483	कर संग्रह	2139–40
1484	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का पेंशनभोगियों के लिये विस्तार	2140
1485	सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी	2140
1486	नर्सों का अखिल भारतीय सम्मेलन	2141
1487	कर-अपवंचन	2141
1488	रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में क्वार्टर	2141–42
1489	नगरजून सागर बांध के समीप सड़क पुल	2142
1490	जलानुवेधन	2142–43
1491	पोषाहार मंत्रणा समिति	2143
1492	प्रबंध अभिकरण पद्धति	2143–44
1493	तस्कर व्यापार	2144
1494	परिवहन नीति और समन्वय पर समिति	2144
1495	उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण	2144–45
1496	धन-कर	2145
1497	नागपुर में घड़ियों का पकड़ा जाना	2145–46
1498	परिवार नियोजन के लिये अनुदान	2146
1499	स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद्	2146–47
1500	डी० डी० टी०	2147
1501	पाकिस्तानी नावों से चोरी छिपे ले जाई जा रही वस्तुओं का पकड़ा जाना	2148
1502	बिहार में कर-अपवंचन	2148

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
563	Chhitauni Bund	2134
564	Paradip Port	2134
565	Power Rates	2134–35
566	Seizure of gold at Palam Airport	2155

Unstarred Question Nos.		
1474	Drinking Water Supply Scheme for Orissa	2135–36
1475	Mental Hospitals	2136–37
1476	Industrial Development of Underdeveloped Areas	2137
1477	Rural Water Supply Schemes	2137
1478	Excise Duty on Small Scale Paint Industries	2137–38
1479	Rockfeller Foundation Grant	2138
1480	Financing of Industrial Estates	2138–39
1481	Savings	2139
1482	Decentralization of L.I.C.	2139
1483	Tax Collection	2139–40
1484	Extension of C.G.H.S. to Pensioners	2140
1485	Irrigation and Power Seminar	2140
1486	All India Conference of Nurses	2141
1587	Tax Evasion	2141
1488	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	2141–42
1489	Road Bridge near Nagarjunasagar Dam	2142
1490	Water logging	2142–43
1491	Nutritional Advisory Committee	2143
1492	Managing Agency System	2143–44
1493	Smuggling	2144
1494	Committee on Transport Policy and Coordination	2144
1495	Rural Water Supply in Orissa	2144–45
1496	Wealth Tax	2145
1497	Seizure of Watches in Nagpur	2145–46
1498	Grant for Family Planning	2146
1499	Central Council of Local Self Government	2146–47
1500	D.D.T.	2147
1501	Sizure of Smuggled Goods from Pakistani Boats	2148
1502	Tax evasion in Bihar	2148

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1503	व्यापार व्यवसायों के साथ 'ब्रिटिश इण्डिया' का लगाना	2149
1504	निकासितों का पुनर्वास	3249
1505	मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन	3249
1506	अस्पताल	2150
1507	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2150
1508	कोटा में करापवंचन	2150–51
1509	सोने का तस्कर व्यापार	2151
1510	जल तथा मल-व्यवस्था की आवश्यकताएं	2152
1511	दिल्ली में प्लाटों की बिक्री	2152–53
1512	बचत आन्दोलन	2153
1513	दिल्ली में विदेशी शराब	2153
1514	तिब्बिया कालेज, दिल्ली	2153–54
1515	अतिरुधिर तनाव	2154
1516	दिल्ली में चिट फंड कम्पनिया	2154–56
1517	योग संस्थायें	2156–57
1518	अनादृत चैक में जांच	2157

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(एक) दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह के पता लगाये जाने का समाचार—

श्री स० मो० बनर्जी . . . 2157–58

श्री नन्दा 2157–59

(दो) दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

श्री स० मो० बनर्जी 2160

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् . . . 2159–61

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 2157–58

राज्य-सभा से संदेश 2163

बैंकिंग विधियां (सहकारी संस्थाओं पर लागू करना) विधेयक—पुरस्थापित 2163

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल्वे), 1964-65—

श्री स० मो० बनर्जी . . . .

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . 2164

श्री उ० म० त्रिवेदी 2164

श्री दी० चं० शर्मा 2164

श्री रघुनाथ सिंह 2164–65

श्री शामनाथ 2165

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1503	Prefix 'British India' with Business Houses	2149
1504	Rehabilitation of Oustees	2149
1505	Mughal Garden, Rashtrapati Bhavan	2149
1506	Hospitals	2150
1507	C.G.H.S.	2150
1508	Tax Evasion in Kotah	2150–51
1509	Gold Smuggling	2151
1510	Water and Sewerage Needs	2152
1511	Sale of Plots in Delhi	2152–53
1512	Savings Movement	2153
1513	Foreign Liquor in Delhi	2153
1514	Tibbia College, Delhi	2153–54
1515	Hypertension	2154
1516	Chit Fund Companies in Delhi	2154–56
1517	Yoga Institutions	2156–57
1518	Enquiry into a dishonoured Cheque	2157

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

(i) Reported unearthing of a Pakistani Spy ring in Delhi—

Shri S. M. Banerjee 2157–58
Shri Nanda 2158–59

(ii) Strike by Delhi Milk Scheme employees—

Shri S. M. Banerjee 2160
Shri C. Subramaniam . . . 2159–61

PAPERS LAID ON THE TABLE 2161-63

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 2163

BANKING LAWS (APPLICATION TO CO-OPERATIVE SOCIETIES) BILL—INTRODUCED 2163

DEMAND FOR SUPPLEMENTRY GRANTS (RAILWAY), 1964-65—

Shri S. M. Banerjee 2164
Shrimati Lakshmikanthamma . . . 2164
Shri U. M. Trivedi 2164
Shri D. C. Sharma 2164
Shri Raghunath Singh . . . 2164–65
Shri Sham Nath 2165

नये आयुध कारखानों की स्थापना के संबंध में दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—

श्री श्यामलाल सर्राफ . . . 2165-66
डा० मा० श्री० अणे 2166
श्री अ० म० थामस 2166-70
श्री रंगा 2170-71

समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—

श्री ति० त० कृष्णमाचारी . 2171-73
श्री मी० रु० मसानी . . 2173-75
श्री मुरारका . . . 2175-76
श्री स० मो० बनर्जी . . . 2176-77
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . . 2177-78

मोटारकारों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारे में चर्चा—

श्री जोकिम आल्वा . . . 2179
श्री काशी राम गुप्त . . 2179-80
श्री पु० र० पटेल . . . 2180
श्री अल्वारेस . 2180-81
श्री म० ल० द्विवेदी . 2181
श्री नारायण दांडेकर . . . 2181-82
श्री प्र० चं० बरुआ . . . 2182
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . 2182

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा—

श्री हेमराज . . 2183

Subject *Pages*

MOTION RE : STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF NEW ORDNANCE FACTORIES—

Shri Sham Lal Saraf 2165–66
Dr. M. S. Aney 2166
Shri A. M. Thomas 2166–70
Shri Ranga 2170–71

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL—

Motion to refer to Joint Committee—

Shri T. T. Krishnamachari . . 2171–73
Shri M. R. Masani . . . 2173–75
Shri Morarka 2175–76
Shri S. M. Banerjee . . . 2176–77
Shri Surendranath Dwivedy . . 2177–78

DISCUSSION RE : MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS—

Shri Joachim Alva 2179
Shri Kashi Ram Gupta . . . 2179–80
Shri P. R. Patel 2180
Shri Alvares 2180–81
Shri M. L. Dwivedy . . . 2181
Shri N. Dandekar . . . 2181–82
Shri P. C. Barooah 2182
Shri U. M. Trivedi 2182

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : DEVELOPMENT OF HILL AREAS—

Shri Hem Raj 2183

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 1964/26 अग्रहायण, 1886 (श)

Thursday, December 17, 1964/*Agrahayana* 26, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Smuggling in Bombay

+
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Daljit Singh :
Shri P. K. Dev :
*547 **Shri Solanki :**
Shri Gulshan :
Shri C. K. Bhattacharya :
Shri Umanath :
Shri Inbichibava :
Shri Nambiar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that gold and currency notes worth several lakhs of rupees were found in car No. PNT 3570 seized in Bombay recently ;

(*b*) whether it is also a fact that a truck with this very number and containing objectionable material was captured near Rupar ;

(*c*) if so, the name of the licence holder of this vehicle ; and

(*d*) the action being taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) to (*d*) It has been found out that a truck belonging to a building contractor firm with a false number plate PNT 3570 was caught by Punjab Police under Motor Vehicles Act and Regulation and Essential Commodities Act. The matter comes under the jurisdiction of State Government.

Shri Prakash Vir Shastri : Was this truck with plate No. PNT 3570, which said to have been caught in Bombay, previously was in the name of Shri Surendar Singh Kairon, the son of the former Chief Minister of Punjab Sardar Pratap Singh Kairon; if so, the total amount of gold and currency seized therefrom ?

Shri Rameshwar Sahu : The vehicle which was caught there was not in the name of Pratap Singh Kairon but it was in the name of one Devi Chand Shah. Previously this vehicle was in the name of one Mohinder Singh, the brother-in-law of Pratap Singh Kairon.

Shri Prakash Vir Shastri : I had also wanted to know the amount of gold and currency seized therefrom. The hon. Minister has perhaps forgotten it.

Shri Rameshwar Sahu : The total value of gold and currency seized is worth Rs. 29,50,000.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated that gold and currency notes worth almost Rs. 30,00,000 have been seized from the truck carrying plate No. PNT 3570 said to belong to a brother-in-law of the former Chief Minister of Punjab. May I know whether the former Governor of Punjab, Shri N. V. Gadgil and the General Secretary of the All India Congress Committee, Shrijut Shriman Narain Aggarwal had intimated the Government of India, that those very persons were mainly involved in smuggling on the Wagha border. And when Government of India had received this information.....

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी नहीं ; हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री कपूर सिंह : मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री यह कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ये मामले सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं, जनसाधारण को तो इन आरोपों का पता है परन्तु वह कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

Mr. Speaker : He said that he had no information that Shri Gadgil and Shrijut Shriman Narain had given this information to Government.

श्री कपूर सिंह : प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है कि तस्कर व्यापार चल रहा था।

Mr. Speaker : The question is clear.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government have come to know of any other important facts regarding this case and if so, what are they ?

श्री कृष्णमाचारी : जहां तक मेरी जानकारी का संबंध हैं जिन बातों का पता लगा है उनके अतिरिक्त मेरे पास किन्हीं रहस्यों की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक गाड़ी का संबंध है इस मामले पर बम्बई पुलिस जांच कर रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : I feel he has not followed my question.

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether some other facts of secret nature or conspiracies have come to light in the process of obtaining information.

श्री रामेश्वर साहू : ऐसी कोई बात नहीं है।

Shri Gulshan : Have the Government investigated as to which country the seized gold belonged.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : This has not been found out as to which country that gold belonged.

Shri Solanki : Was the vehicle going from Maharashtra to Punjab or from Punjab to Maharashtra ?

Shri B. R. Bhagat : The vehicle was found in Maharashtra. Where it was going, is not known.

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या कार के चालक से पूछताछ की गई है, और उसका क्या ब्यान लिया गया है जैसा कि ऐसे मामलों में प्राय: किया जाता है ?

श्री रंगा : क्या वह पंजाबी था अथवा महाराष्ट्र निवासी।

श्री ब० रा० भगत : यह सारी जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। हो सकता है कि ब्यान लिया गया हो। परन्तु हमारे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री रंगा : आप हमें यह बताना नहीं चाहते।

श्री उमानाथ : समाचार पत्रों में यह साफ तौर से प्रकाशित हुआ था कि श्री कैरों इस मामले में अन्तग्रस्त थे। क्या इस संभारन पर कि श्री कैरों स्वयं इस मामले में अन्तग्रस्त हैं कोई जांच की गई थी ? यदि नहीं, तो क्या इस लिये जांच श्री कैरों के विरुद्ध नहीं की गई थी कि वह स्वयं इस में अन्तर्ग्रस्त थे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि इस मामले में हम जानकारी के लिये पूर्णतया पंजाब सरकार पर निर्भर करते हैं। पंजाब सरकार ने केवल यही बताया है कि इस नाम की गाड़ी या ट्रक पकड़ा गया है जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं अनधिकृत रुप से पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने हमें कोई उत्तर नहीं दिया है। में विवरण जानने के लिये माननीय सदस्यों की उत्सुकता का अनुभव करता हूं, परन्तु मेरे पास ब्योरे नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में क्या यह सच है कि इस नम्बर का ट्रक या कार जिसमें आपत्तिजनक वस्तुएं थी रोपड के निकट पकड़ा गया था।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : पंजाब सरकार ने हमें इतनी सूचना दी है कि एक विशेष ट्रक बिना अधिकार के आवश्यक वस्तुएं ले जाता हुआ पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं बता चुका हूं सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है।

Shri D. N. Tewari : Is there any section in the Motor Vehicles Act or any other Act that the person who sells his vehicle shall himself be liable for any offence ?

Mr. Speaker : This question has no relevance with the main question.

Shri Rameshwaranand : May I know whether the truck caught near Rupar belonged to any relative of Pratap Singh Kairon or to any of his friends ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे सहयोगी ने बता दिया है कि ट्रक किसका था। और यह जानकारी हमें पंजाब सरकार से मिली है। ऐसी बात पूछने से कोई फायदा नहीं जिसका मुझे पता नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत सरकार ने अपने एक अधिकारी को "दास आयोग" के प्रतिवेदन के संबंध में बाद की जांच करने के लिये पंजाब भेजा था। क्या दिल्ली का भी कोई अधिकारी इस जांच में होगा जिससे कि जांच में कोई त्रुटि न रह जाय ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं दास आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में किसी प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे रहा हूँ।

श्री रंगा : क्या हम मंत्री महोदय से कह सकते हैं कि वह इन प्रश्नों के अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिये पंजाब सरकार को आज ही भेज दें ?

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा नहीं कह सकते।

Admission to Medical Colleges

+
548.
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether any facilities are given to candidates of backward areas for admission to various medical colleges and if not the reasons therefor :

(b) Whether it is a fact that preference is given to candidates belonging to urban areas in the matter of admission to medical colleges superseding the candidates belonging to backward areas, and

(c) if so, whether Government propose to hold separate competitive examinations or to offer some special facilities in examinations to the candidates belonging to backward areas?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b) There is no authorised classification of the backward areas as such. But there are reservations in Assam, Jammu and Kashmir, Mysore, U. P., Punjab and Kerala States which is as under :

Assam : 12 per cent for hilly Scheduled Tribe Areas : 10 per cent for the scheduled tribes of plains.

Punjab : In the medical colleges of Amritsar and Rohtak 10 per cent seats are reserved for the candidates of Backward Areas.

U.P. : In the Agra Medical College 4 seats are reserved for the candidates from hilly areas and 4 seats for the candidates from Northern Division.

In the Medical College of Lucknow 5 seats—not including Northern Division are reserved for hilly Areas.

So far as we know, in all the other colleges no seats are reserved for the candidates of backward areas. No preference is given to the candidates from urban areas; only in the Usmania Medical College of Hyderabad 30 per cent seats are reported to be reserved for the candidates of Hyderabad City.

(c) In Medical Colleges admissions are given only on merits and when some of the States have reserved seats for offering them facilities it does not look proper to hold separate competitive examinations for them. Admission is normally given on the basis of the marks secured in Pre-medical or Intermediate (Science) examinations.

Shri M. L. Dwivedi : Is the hon. Minister aware that the candidates belonging to urban areas are better than those belonging to rural areas because they are given special treatment or they have special educational facilities etc. Why the Government do not give special to the candidates from rural areas also who enjoy the same rights to get employment and admission in colleges ?

Dr. Sushila Nayar : Equal opportunities are given to all. I would further submit that while making selections it is not taken into account whether a candidate belongs to a rural area or an urban area or to this caste or to that.

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन, एक व्यवस्था प्रश्न है । मंत्री जी ने अभी कहा कि हैदराबाद में हैदराबाद के लोगों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित हैं । अन्य मेडिकल कालिजों में पिछड़े वर्गों के लिये सीटें आरक्षित हैं और अन्य अभ्यर्थियों के लिये भी कुछ सीटें आरक्षित हैं । वह कहती है कि समान अवसर दिया जाता है । वह यह कैसे कह सकती हैं कि समान अवसर दिया जाता है जब कि उन्हों नें स्वयं हैदराबाद, पंजाब और अन्य स्थानों में मेडिकल कालिजों में पाए जाने वाले कई अपवादों को बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Is the hon. Minister aware that the students belonging to rural areas do not get through the competitive examinations due to several reasons, even though they are more intelligent and abler than those belonging to urban areas and can prove themselves to be better doctors. What are then the reasons for not giving facilities to the students belonging to the rural areas?

Dr. Sushila Nayar : We have no measuring rod to assess their intelligence. We are assessing there intelligence by the measuring rod which we have.

Shri M. L. Dwivedi : Has any college been opened in the rural areas ?

Mr. Speaker : Order, order, Shrimati Savitri Nigam.

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से यह बिलकुल स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के आरक्षण किये जाते हैं । क्या मैं जान सकती हूं कि पिछड़े वर्गों के लिये समान प्रकार के उचित आरक्षण करने के लिये एक प्रकार की व्यापक योजना क्यों तैयार नही की जाती ?

अध्यक्ष महोदय : हमें तर्क नहीं करना चाहिये । हमें केवल जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ।

डा० सुशीला नायर : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने जो मंत्रणा राज्यों को दी है, काफी स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षणों के अतिरिक्त, सभी दाखिले दृढ़ता पूर्वक योग्यता के आधार पर होने चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये आरक्षण भी कभी 10 प्रतिशत होता है और कभी 15 प्रतिशत होता है. . .

अध्यक्ष महोदय : इस में बड़ी कठिनाई पेश आ रही है कि श्रीमती निगम के प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिये जाते हैं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : उसमानिया विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। क्या भारत सरकार को यह सूचना मिली है कि राज्य पुनर्गठन के पश्चात मद्रास और अन्य स्थानों से आने वाले अधिकारियों के बच्चों को उन कालिजों में दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमानिया विश्वविद्यालय में स्थानीय व्यक्तियों के लिये आरक्षण किया जाता है चूंकि वे स्थानीय व्यक्ति नहीं इस लिये उन को वहां दाखिला नहीं मिल पाता। क्या सरकार उन लोगों के लिये, जो स्थानीय व्यक्ति नहीं है, कुछ करना चाहती है?

डा० सुशीला नायर : जो कुछ मैं कह सकती हूं वह यह है कि कुछ अधिकारियों ने कुछ शर्तों के अधीन उसमानिया मेडिकल कालिज की स्थापना की थी और उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। संभवतः कुछ अंशदान भी था। इस कालिज में 70 प्रतिशत सीटें अन्य व्यक्तियों के लिये उपलब्ध हैं। इस के अलावा आन्ध्र प्रदेश में 7 अन्य कालिज हैं। यह संघ के अन्य राज्यों की अपेक्षा एक अधिक अनुपात है और विद्यार्थी प्रतियोगिता कर सकते हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : चूंकि पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी पिछड़ेपन के दृष्टिकोण से सभी महिलायें पिछड़ गयी हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि सभी मडिकल कालिजों में महिलाओं के लिये कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं?

डा० सुशीला नायर : मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस से सहमत हैं कि सभी महिलायें पिछड़ी हुई नहीं हैं। कुछ राज्यों में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, परन्तु लड़कियां अधिकतर मेडिकल कालिजों में 40 से 50 प्रतिशत और इस से भी अधिक दाखिला ले रही हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : As the hon. Minister just said that quota has been fixed for candidates coming from backward areas in the medical colleges of Uttar Pradesh, Punjab etc., what is the reason for not fixing such a quota for them in the medical college in Rajasthan ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, I am glad that the people of Rajasthan have a very good procedure for making selections and they do not believe in any sort of quota and reservation.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस से अवगत है कि देश में उपलब्ध सुविधाओं से चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी अध्ययन करने की मांग कहीं अधिक है, विशेषतया पंजाब में, और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है?

डा० सुशीला नायर : चौथी योजना में 30 अधिक मेडिकल कालिज खोलने का विचार है।

श्री कपूर सिंह : पंजाब में कितने ?

डा० सुशीला नायर : मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्रीमती अक्कमा देवी : महिलाओं में सामान्य तौर से साक्षरता की न्यून प्रतिशता को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां अधिक प्रतिभाशील होती हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिये राज्यवार सीटों की कुछ प्रतिशतता नियत करेगी ?

डा० सुशीला नायर : ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा विचार है कि सभी सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित कर दी जायें ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Investment by L. I. C.

+

*549. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri N. K. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount invested by the Life Insurance Corporation in the private sector in Bombay, Calcutta, Madras and Delhi, and the ratio it bears to the total fund of the Corporation ; and

(b) whether Government are formulating any scheme to see that funds of the Corporation are also invested in the development projects in the towns and rural areas in the country ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) :

City	Amount invested as at 31-3-1964	Ratio to the total fund
	Rs. crores	Percent
Bombay	36·68	4·16
Calcutta	30·63	3·48
Madras	2·69	0·31
Delhi	3·25	0·37
TOTAL	73·25	8·32

(b) No, Sir.

Shri Bibhuti Mishra : It is clear from the answer just given by the Hon. Minister that the whole amount of the Corporation is spent in the four big cities of Bombay, Calcutta, Madras and Delhi, may I know the percentage of the amount being invested in villages ?

Shri B. R. Bhagat : This presumption is not correct. It is correct as far as investment in private sector is concerned because about half of the amount is invested in these four big cities. But a major share *i.e.* about 85% of the funds

of the L.I.C. is invested in Government Securities, Housing Corporation, Co-operative societies and mortgage banks, and if you will combine them and then see, you will find that it is not correct that the whole amount is spent in cities only.

Mr. Speaker : The hon. Member has also asked as to how much money is spent in villages?

Shri B. R. Bhagat : It is somewhat difficult to give any estimate regarding villages.

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has said that an amount of Rs. 75 crores is spent in Bombay, Calcutta etc. and he has also given an idea in an indirect way that some amount is spent in villages. May I know the amount spent in villages in which about 80 per cent of our people live and whether Government has any scheme to give loans to the farmers from the insurance funds so that progress in the development work and in bringing about agricultural reforms could be achieved?

Shri B. R. Bhagat : Loans are advanced to the farmers from other items. The main share of the fund *i.e.* Rs. 77 crores is invested in Government securities and from that money, loans and aid are given to the farmers on behalf of the Government.

Shri Bibhuti Mishra : My question has not been answered. I wanted to know what percentage of the funds of the Insurance Corporation is spent on the well-being of the farmers?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of money being spent through the Insurance Corporation.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य ने कहा है कि धन का व्यय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में किया जाता है। माननीय सदस्य ने यह देखा होगा कि मद्रास में केवल 2.69 करोड़ रुपय विनियोजित किये गये हैं जो कि चारों प्रदेशों में से सब से कम है। दिल्ली में भी इससे अधिक धन विनियोजित किया जाता है। परन्तु माननीय सदस्य की यह बात समझनी चाहिये कि यह तो केवल पावती-पत्रों की उपलब्धता के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन का प्रश्न है और मैं नहीं जानता कि ग्रामीण क्षत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा धन विनियोजित करने के लिये स्टाक और शेयर के पावती-पत्र उपलब्ध हैं। जहां तक जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन का सम्बन्ध है, यद्यपि हम जानकारी दे सकते हैं, तथापि सरकार ने उन को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि विनियोजन कैसे करना है। जहां तक ग्रामीण क्षत्रों का सम्बंन्ध हैं, विनियोजन अंन्य दिशाओं में जैसे की मकान निर्माण आदि में करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीवन बीमा निगम की निधि का बहुत बड़ा भाग सरकारी ऋणपत्रों में लगाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में धन के व्यय के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has said that money is invested in housing etc. May I know the income of L.I.C. from rural areas and the amount being invested in housing, small scale industries and other works there?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अपेक्षित जानकारी के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिय। दूसरी बात यह है जसा कि मैं ने कहा है कि न तो कोई ऐसा निर्देश है और न ही कोई सूझबूझ है कि विनियोजन उन साधनों पर हीं किया जाये जिन से धन प्राप्त होता है। यदि ऐसा हो तो जीवन बीमा निगम यह दावा कर सकता है कि सब से अधिक धन सरकारी ऋणपत्र में लगाया जाता है और यह धन सरकार

ग्रामीण क्षेत्र में लगाती है । क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विनियोजन करने के साधन नहीं है, इसलिये निगम के समक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: विनियोजन करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या जीवन बीमा निगम की निधि के विनियोजन के बारे में कोई निर्धारित नीति है जिस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है अथवा क्या यह सरकार की नीति है कि सारा धन अथवा इस का सब से बड़ा भाग सरकारी ऋण पत्रों में लगाया जाना है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक जीवन बीमा निगम की निधि के विनियोजन सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, सभा इस से पूरी तरह से अवगत है । मेरे विचार में इस बारे में अगस्त, 1958 में एक पत्र सभा पटल पर रखा गया था । निगम को यह बताया गया है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल निधि के 27 प्रतिशत धन का विनियोजन कर सकते हैं । वास्तव में इस में कोई 20 से 21 प्रतिशत तक विनियोजन होता है और शेष धन बन्धकों तथा पालिसी धारकों की अन्य चीज़ों में लगाया जाता है । परन्तु इस का अधिकतर भाग सरकारी ऋणपत्रों में लगाया जाता है । माननीय सदस्य को यह पूछने का पूर्ण अधिकार है कि सरकार निगम से प्राप्त किये गये धन को कैसे विनियोजित करते है परन्तु यह एक बिलकुल पृथक प्रश्न है ।

श्री जयपाल सिंह : कई वर्ष पूर्व इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन मुख्यता इस बात को ध्यान में रख के किया जायेगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रयत्नों को स्थिर किया जाये और इस का विनियोजन सट्टे में——शेयरों के क्रय और विक्रय से धन अर्जन के हेतु विनियोजन नहीं किया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि कहां तक इस का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने कहा कि जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन सम्बन्धी नीति का अभिप्राय अधिक धन अर्जित करना है जिस से वह अपने पालिसी-धारकों को बोनस दे सके । गैर-सरकारी क्षेत्र के स्थिरीकरण का प्रश्न तो एक गौण और प्रासंगिक प्रश्न है, परन्तु मुख्य बात यह है कि उन को कुछ धन का उपार्जन करना है जिस से उन की एनडाउमेंट पालिसियां कुछ बोनस बना सकेंगी अन्यथा सहकारी ऋणपत्रों को बेचने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा ।

श्री जयपाल सिंह : ऐसे दृष्टान्त हैं कि जीवन बीमा निगम ने जहां गैर-सरकारी क्षेत्रों में विनियोजित किया है वहां पर्याप्त छिपा हुआ धन है । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जीवन बीमा निगम छिपे हुए धन के शेयरों की स्वैरकल्पित अधिमूल्य पर पेशकश करता है । सरकार इस प्रकार की सट्टेबाजी की अतिविधि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने मुझे पर्याप्त जानकारी दी है जिस से मैं अवगत नहीं था । परन्तु मैं अपने मूल उत्तर पर दृढ हूं कि जीवन बीमा निगम आय अर्जित करने के हेतु धन का विनियोजन करता है और जहां तक मुझे जानकारी है, इसके अतिरिक्त इस का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Agreeing, that the money invested by L.I.C. in Government securities is of indirect advantage to the country, can the Government cite a single instance where the money invested by L.I.C. has been of direct advantage to the public?

Shri B. R. Bhagat : As the Finance Minister has stated a major part of it is invested in Government papers and it is for the Government to spend the money for the public benefit.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether it has been invested directly.

Mr. Speaker : Now the Hon. Minister cannot tell, it might not have been invested.

Shri B. R. Bhagat : Direct investment is very small, e.g. 15 crores invested in land mortgage bank. Indirect investment is quite a good deal.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण क्षेत्र से कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है ? उस क्षेत्र में इतने कम विनियोजन के क्या कारण हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक "प्रीमीयम आय" का सम्बन्ध है, मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये । मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं । जहां तक दक्षिण क्षेत्र में कम विनियोजन का सम्बन्ध है, यह शायद वहां कम क्रियाशीलता के कारण हैं ।

केरल की परिवार नियोजन योजना

*550. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक दशाब्दी में जन्म दर आधी कर देने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा तैयार की गई "क्रेश प्रोग्राम" के आधार पर परिवार नियोजन योजना को संघ सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या स्थानीय प्रथाओं तथा आचार विचारों के अनुरूप विभिन्न राज्यों के लिये इसी प्रकार की योजनायें बनाई जा रही हैं ;

(ग) क्या केरल के पालघाट जिले में अट्टापड़ी के आदिवासियों द्वारा, जो इस कार्य के लिए किसी जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं व्यवहृत परिवार नियोजन विधि का सरकार ने अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह जड़ी बूटी व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जा सकती है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिये केरल सरकार ने 20 मार्च, 1964 को आदेश जारी किये ।

(ख) अन्य राज्यों से भी ऐसी ही कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है और उनमें से बहुतों ने सुझायी गयी नीतियों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(ग) और (घ) सरकार ने पालघाट जिले में अट्टापडी के आदिवासियों द्वारा व्यवहृत परिवार नियोजन विधियों का अध्ययन नहीं किया है । आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त बतलायी गयी कुछ जड़ी बूटियां परीक्षण के लिये प्राप्त की जा रही हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने उन विभिन्न निषेधों की भी जांच की है जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को स्वीकार्य बनाने में बाधक है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : देश के विभिन्न भागों में कई अनुसंधान योजनायें चल रही हैं । जिन विषयों का वह अध्ययन कर रहे हैं उनमें से एक विषय वह भी है जिसका माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित देशीय प्रणालियों के प्रयोग की क्या सम्भावना है ?

डा० सुशीला नायर : जब भी हमें किसी देशीय प्रणाली का पता चलता है तो हम उसका पूर्णतया अध्ययन करते हैं। जैसा की मेरे माननीय सहयोगी ने कहा, हमारी विभिन्न संस्थायें इस कथित बूटी को अध्ययन के लिये इकट्ठा कर रही हैं और केरल सरकार भी इसका अध्ययन कर रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि कुछ राज्य और क्षेत्र परिवार नियोजन योजनाओं को अपनाने और लोकप्रिय बनाने में काफी पीछे रह गये हैं, मैं जान सकती हूं कि इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है और उन क्षेत्रों में क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सभी राज्यों में परिवार नियोजन योजना सामान्य रुप से लागू करने के बारे में नहीं है, यह केवल केरल में परिवार नियोजन के बारे में है। श्री यशपाल सिंह।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का (ख) भाग केरल के बारे में है।

Shri Yashpal Singh : Have the government noted that even after spending crores of rupees in Kerala the population problem there has not been solved; and had this money been given as subsidy to the agriculturist, then the food problem would have been solved.

Mr. Rameshwaranand : Have the government given thought to the fact that instead of spending so much money on this method in Kerala, it is better that the men and women there are imparted education on brahmcharya; will government try in this direction ?

डा० सुशीला नायर : ब्रह्मचर्य की शिक्षा, उच्च नैतिक स्तर आदि, आदि, सर्व प्रथम माता पिता के कर्त्तव्य हैं, दूसरे अध्यापकों के तीसरे शायद स्वामीजी जैसे देश के नेताओं के।

श्रीमती रामदुलारी सिनहा : क्या राजधानी में परिवार नियोजन संस्था बनाने का कोई विचार है ; यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री पू० शे० नास्कर : दिल्ली में एक परिवार नियोजन संस्था है।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच है कि जनता का एक भाग, अल्पसंख्यक, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार नहीं कर रहे हैं ;

यदि हां, तो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये उन लोगों में परिवार नियोजन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैं सविनय यह प्रार्थना करूंगी कि यह ऐसा विषय नहीं है जिसे साम्प्रदायिक विषय बनाया जाय। प्रत्येक समुदाय में ऐसे पिछड़े हुये लोग हैं जो इसको नहीं अपनाते और समझदार लोग भी हैं जो प्रत्येक समुदाय में इसको ग्रहण कर लेते हैं।

श्री कपूर सिंह : केरल में जन्मानुपात को कम करने के कार्यक्रम को आरम्भ करने से पहले क्या सरकार ने उन कारणों की भी जांच की है जिनके कारण केरल के "होमो-सेपियन्स" की प्रजनन शक्ति इतनी असाधारण है और जो संसार में सबसे अधिक है ? यह आधारभूत प्रश्न है।

डा० सुशीला नायर : मैं समझ नहीं सकी कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। भारत में जन्मानुपात अपेक्षया अधिक है जैसा कि अन्य देशों में भी था जब तक उन्होंने जीवनयापन को उच्च स्तर शिक्षा और छोटे परिवारों की इच्छा से इसे कम नहीं कर दिया।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच नहीं कि केरल का जन्मानुपात संसार में सबसे अधिक है, यदि हां, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है। श्री अ० प्र० जैन।

Shri A. P. Jain : Sadhu Samaj is well organised in the country now. Has the Ministry tried to take help from Sadhu Samaj or other sadhus? If such an attempt has been made, what has been the result thereof ?

Dr. Sushila Nayar : There has not been any direct correspondence with Sadhu Samaj. But there are certain sadhus and other people who are doing good work in this field.

सिंचाई परियोजनायें

*551. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा पर्याप्त मात्रा में सीमेंट न दिये जाने के कारण कुछ राज्यों में सिंचाई तथा जल निस्सारण परियोजनाओं की क्रियान्विति रुक गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की मांगों की किस सीमा तक पूर्ति की गई है; और

(ग) उनकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सिंचाई व बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग केवल उन सिंचाई व बिजली परियोजनाओं को सीमेंट अलाट करने का प्रस्ताव करता है जिनकी लागत १ करोड़ रुपये से अधिक होती है और उद्योग मंत्रालय इस मांग के प्रति आवंटन थोक रूप से कर देता है। किसी भी परियोजना पर इस लिए कार्यवाही नहीं रुक गई है कि उनको पर्याप्त सीमेंट अलाट नहीं हुआ है। किन्तु, सीमेंट की कमी के कारण सिंचाई व बिजली परियोजनाओं की मांगों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सका, और इससे परियोजनाओं के निर्माण की गति पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) राज्य सरकारों ने सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए चालू तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर, १९६४) में ६.७० लाख टन सिमेंट मांगा था और इस के प्रति उन्हें लगभग ४.०८ लाख टन सीमेंट अलाट किया जा सका। १९६५ की प्रथम तिमाही के लिए सीमेंट का आवंटन कर दिया है और यह राज्य सरकारों और परियोजना अधिकारियों से प्राप्त ८.८१ लाख टन सीमेंट की मांग के प्रति ४.०५ लाख टन है।

(ग) सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए थोक आवंटन को बढ़वाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या राज्यों से, विशेषतया उत्तर प्रदेश से, इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग सिंचाई तथा विद्युत् के लिये सप्लाई का जो आवंटन करता है वह उसको दिये गये आदेश से बहुत कम होता है और वह सप्लाईज भी राज्यों को उपलब्ध नहीं हैं जिससे निर्माण कार्यों के निष्पादन में बहुत बाधा और देरी हो रही है।

डा० कु० ल० राव : यह बिलकुल सच है कि सीमेंट की कमी के कारण मांग का केवल 60 या 70 प्रतिशत भाग का ही आवंटन किया जाता है। मेरे पास कई शिकायत आई हैं और मुझे पता है

कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा की तरह की परियोजनायों की सीमेंट की कमी के कारण बहुत हानी हो रही है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : आयोजना का क्या लाभ है यदि परियोजनाओं के सम्मोदन के उपरान्त, सरकारी परियोजनाओं को भी समय पर सप्लाई न मिले ।

डा० कु० ल० राव : प्रश्न का सम्बन्ध सीमेंट के आयोजित लक्ष्य से है । तीसरी योजना के अन्त तक सीमेंट का पहला लक्ष्य 150 लाख टन था । दुर्भाग्यवश इसमें 20 लाख टन की कमी आ गई है जिसका इन परियोजनाओं से पता चलता है ।

श्री नरसिम्हा रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन में देरी का कारण कम से कम आंध्र प्रदेश में, न केवल सीमेंट की अपर्याप्तता है बल्कि राजनैतिक छल और पार्टीबाज़ी भी है । उदाहरण के तौर पर चितूर जिले में बट्टाय परियोजना जो पूरे तौर से सम्मोदित परियोजना है और जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने 36 लाख रुपया ऐलाट किया था ।

अध्यक्ष महोदय : यहां हमें सीमेंट की अपर्याप्तता के बारे में बोलना है ।

श्री नम्बियार : यह राजनैतिक छल सप्लाई है ।

श्री रंगा : जब सरकार सिंचाई तथा निस्सारण परियोजनाओं के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का दावा करती है, तो सरकार ने इन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिये सीमेंट का आयात करना आवश्यक क्यों नहीं समझा जिससे इन परियोजनाओं का कार्यक्रम के अनुसार निष्पादन हो सके ?

डा० कु० ल० राव : तत्समय सिंचाई तथा विद्युत् की मुख्य परियोजनाओं को देश में कुल उत्पादन का छटा भाग दिया जा रहा है । कई और मांगों के कारण और विदेशी विनिमय के कारण, हम अभी सीमेंट नहीं मंगा रहे हैं ।

श्री रंगा : क्या सम्बद्ध मंत्रालय ने कभी सीमेंट की सप्लाई की प्राथमिकता की मांग का प्रयत्न किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि विदेशी विनिमय की कमी है ।

श्री रंगा : यह इस पर निर्भर करता है कि वह वित्त मंत्रालय पर कितना दबाव डालते है ।

Shri Tulshidas Jadhav : The Government is not able to get cement for these works but one can get as much cement as one liked in the blackmarket. I want to know where does that cement come from ?

डा० कु० ल० राव : मैं यह नहीं कह सकता ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इसको देखते हुये कि सीमेंट की कमी है क्या सरकार बता सकती है कि सारे भारत में सीमेंट के कारखानों के संस्थापन के लिये जारी किये गये लाइसेंस काफी हद तक क्यों रद्द कर दिये गये हैं और इसके लिये नये लाइसेंस भी नहीं दिये जा रहे हैं ? यह बाधा क्यों हो रही है ?

श्री कु० ल० राव : यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय के लिये है । मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता ।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस देश में खाद्य की कमी है और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई अत्यावश्यक है । बिहार के उन क्षेत्रों में न्यूनतम सिंचाई सुविधायें देने के लिये सरकार क्या विशेष योजना बना

रही है विशेषतया शहाबाद जिले में, जहां फसल तिगुनी हो सकती है और क्षेत्र आत्मनिर्भर हो सकता है ।

श्री कु० ल० राव : जहां तक सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उन परियोजनाओं को सीमेंट के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है जो समाप्ति के निकट होते हैं और जिनकी अच्छी प्रगति होती है । इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कह सकता ।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री ने यह अनुभव किया है, जब उन्होंने यह उत्तर दिया क्योंकि विदेशी विनिमय की कमी है इसलिये वह सीमेंट का आयात नहीं कर सकते. कि यदि सीमेंट नहीं है तो सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन नहीं हो सकता और यदि यह नहीं बन सकती तो खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकते और यदि लक्ष्य पूर्ण नहीं होते तो हम खाद्य का आयात शुरू कर देते हैं । इससे बचने के बजाय क्या वह इससे अच्छा उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे ।

डा० कु० ल० राव : कोई भी परियोजना रोकी नहीं जा रही है .

श्री नाथ पाई : पहले उन्होंने कहा था कि मांग का 60 या 70 प्रतिशत भाग दिया जा रहा है .

डा० कु० ल० राव : जो कुछ हो रहा है वह यह है कि परियोजनाकों का निर्माण रुक रहा है .

श्री रंगा : जो उन्होंने पहले स्वीकार किया था, अब उसके प्रतिकूल कह रहे हैं ।

डा० कु० ल० राव : मैं कह रहा था कि कोई भी परियोजना रोकी नहीं जा रही हैं । उपलब्ध सीमेंट का हम जितनी सावधानी से हो सके वितरण कर रहे हैं और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वह परियोजनायें जो समातिप के निकट हैं शीघ्र समाप्त हो जायें और जो आरम्भ हो रहे हैं उनको कम महत्व दिया जाये. . .

श्री रंगा : अत: देरी हो रही है ।

डा० कु० ल० राव : जब किसी वस्तु का अभाव हो तो यह सब कुछ करना पड़ता है और जब बहुत सी मांगे हों जैसे प्रतिरक्षा ।

श्री नाथ पाई : इसका उनके पहले उत्तर से किस प्रकार समाधान होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता ।

श्री रंगा : इसका मतलब यह हुआ कि उनका मंत्रालय प्राथमिकता के काम को सक्रियता से नहीं करता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जान सकता हूं कि आसाम में मिट्टी के कटाव तथा बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए कोई 'मास्टर प्लान' तैयार किया गया है तथा क्या यह विलम्ब सीमेंट की कमी के कारण हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : मुख्य प्रश्न केवल सीमेंट के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य आसाम में भूमि-कटाव तथा बाढ़ नियंत्रण की बात कर रहे हैं । यह एक पृथक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सुसंगत नहीं ।

नई दिल्ली में बिजली की दरें

*552. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने भूतलक्षी प्रभाव से बिजली की दरें बढ़ा दी है; और

(ख) क्या इस वृद्धि का बिजली के उपभोक्ताओं पर काफी प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

नई दिल्ली नगर पालिका के पास भारतीय विद्युत शक्ति अधिनियम के अधीन एक विद्युत शक्ति लाइसेंस है और वह अपने क्षेत्र में वितरण के लिए बिजली दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग से खरीदती है । नई दिल्ली नगर पालिका ग्राहकों की निम्नलिखित पांच श्रेणियों को बिजली देती है :—

(1) रोशनी और पंखे (घरों के लिये एवं व्यापारिक)
(2) पावर । घरों के लिए ।
(3) पावर । व्यापारिक कार्यों के लिए ।
(4) सड़क की रोशनी ।
(5) बड़े पैमाने पर खर्च करने वालों को अधिक परिमाण में संभरण ।

जहां तक पहली चार श्रेणियों का संबंध है दिल्ली नगर निगम द्वारा बिजली पर 1-7-59 से लगाये गये एक पैसा प्रति यूनिट के अलावा इन की दर में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जहां तक पांचवी श्रेणी का संबंध है बिजली की सप्लाई की दर डी० ई० एस० यू० की दर के अनुसार बदलती रहती है । इस साल भी दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग ने 1964—65 के लिए 9.25 पैसे प्रति यूनिट की अन्तिम दर सूचित की जब कि 1963-64 के लिये यह दर 8.00 पैसे प्रति यूनिट थी और इसी के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका को भी अधिक परिमाण में बिजली संभरण की दर 1-4-64 से संशोधित करनी पड़ी और यह संशोधन इस शर्त पर किया गया कि इस दर को अन्तिम रूप दिये जाने पर इस में और आगे संशोधन किया जायेगा । इस श्रेणी के लिए निर्धारित दर को हमेशा पिछली तारीख से संशोधित करना पड़ता है क्योंकि दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा निकाली जाने वाली संभरण की वास्तविक लागत को तब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता जब तक इस साल का हिसाब किताब बंद और आडिट नहीं किया जाता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : According to this statement only one n.P. has been increased in respect of first four categories, but the fifth category, which concerns 95% citizens of Delhi has been much burdened with the increased rate. I want to know the reasons for small increase of rate in the case of first category of people who are well to do while so much burden has been imposed on this fifth category who are generally humbler people.

श्री पू० शे० नास्कर : चार श्रेणियों के बारे में ही केवल एक यूनिट पर एक पैसे की बढ़ौत्री की गई है । तथा जिनके सम्बन्ध में विवरण में कहा गया है । दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई 1959 से एक नया पैसा प्रति यूनिट कर लगा रही है । यह नई दिल्ली नगर पालिका एकत्र करती है और दिल्ली नगर निगम को दे देती है । जहां तक पांचवी श्रेणी का सम्बन्ध है अर्थात् 'बड़े उपभोक्ता' जिन को अधिक सप्लाई होती है उनकी संख्या 75 प्रतिशत नहीं है । यह अधिक बिजली प्रयोग करनेवाले उपभोक्ता हैं । नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में इन की संख्या केवल 55 है । क्योंकि दर वित्तीय वर्ष के अन्त में निर्धारित इसलिये दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग द्वारा लगाये गये दर भिन्न भिन्न होते हैं । अन्तिम दर निर्धारित करने से पहले अस्थायी दर का संकेत कर दिया जाता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस वर्ष 9.5 पैसे प्रति यूनिट का संकेत नई दिल्ली नगरपालिका तथा बड़े उपभोक्ताओं के ठेके में हैं और करार में एक खण्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त पर इस में परिवर्तन किया जायगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Sir, what I had wanted to know was the reasons for the increase of 1 nP. in respect of the first four categories of consumers, who are "well to do" and justification for the increase in the case of the fifth category who have been mentioned as "bulk consumers" in the statement.

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Hon. Member has misunderstood, because the first four categories cover light and fan which are used also by the poor. Domestic power, commercial power and road lighting. The general public is covered in these four categories. Fifth categories is of those people who run big factories and they get power in bulk supply. Rates in their case are less than those applicable to the general public. Government has got to such people make profits out of that ensure that people who make profits from electricity may be burdened and not the ordinary people.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is stated here that this year *i.e.* 1964-65 rates for bulk consumers will be 9·25 nP. instead of 8 nP. and further what will be Revied retrospectively and since when is not known. I want to know under what rule or act it is said that the consumers of this city cannot be informed of the effective date of increased levy ?

Dr. Sushila Nayar : It is stated in the agreement entered into with them. As the hon. Deputy Minister said how can N.D.M.C. state unless it is so informed by D.E.S.U. That is why it is said that in case D.E.S.U. increases you will have to pay more. It is there in the agreement.

Shri Bhagwat Jha Azad : We are not directly concerned with D.E.S.U. We are concerned with N.D.M.C. If N.D.M.C. cannot settle its problems with D.E.S.U., it is no a reason that it should impose its wrong rules on us *i. e.* the consumers. It should settle its problems with D.E.S.U. I want to know the rules under which N.D.M.C can compel the consumers to pay after one year or one and a half year restrospectively.

Shri M. L. Dwivedi : The bulk consumers are engaged in industries and it is our policy to increase industrial out put, so that goods become cheaper, then what are the reasons for such increase in the case of industries ? Why do Government not prevent D.E.S.U. from doing so ?

Mr. Speaker : You do not want to seek information. When you put question you should ask for information.

Shri M. L. Dwivedi : I put an ordinary question in regard to industrialists.

Dr. Sushila Nayar : Industrialists are already given enough concessions, for instance, for light and fan users get at 22 nP. per unit. Domestic power at commercial rate............

Shri M. L. Dwivedi : I am asking regarding those who have bulk supply.

Dr. Sushila Nayar : Those of bulk supply are already getting 2,000 units at 18·5 Paise, next 5,000 units at 15·3 Paise further next 5,000 at 12·3 Paise and thereafter at 11·5 Paise. In this way they are getting at low rate.

श्री दी० चं० शर्मा : नगर म बिजली फेल होने के दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग से निश्चित अथवा अनिश्चित क्या सम्बन्ध है। क्या यह सच नहीं है कि बिजली के जितने दर बढ़ते हैं बिजली उतने ही अधिक संख्या में तथा लम्बे समय के लिये बिजली फेल रहती है ?

डा० सुशीला नायर : यह मेरे लिये सम्भव नहीं कि बिजली के फेल होने के बारे में कुछ जवाब दे सकूं ।

श्री श्यामलाल सराफ़ : एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गय है । भूतलक्षी तिथि से दर क्यों बढ़ाने दिये जाते हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैने इसकी व्याख्या की है कि यदि वर्ष के अन्त में दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाय अण्डरटेकिंग कहे कि दर बढ़ा दिये गये तो नई दिल्ली नगरपालिका इस स्थिति में लोगों से अधिक दरों पर भुगतान करने को कहेगी । अन्यथ : नई दिल्ली नगरपालिका के पास केवल एक विकल्प रहता है वह यह कि वह वर्ष के आरंभ से बढ़े हुए दर लेना शुरू कर दे । यह बात उन्हें पसन्द नहीं होगी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : दिल्ली नगर में उपलब्ध बिजली उसकी मांग से कम है । इसी कारण दर बढ़ाने का निर्णय किया गया है । यदि यही बात है तो इसका समाधान क्या है । क्या पर्याप्त बिजली को देकर दरों के घटाने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० सुशीला नायर : अच्छा हो यदि प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय को किया जाय ।

श्री शिवचरण गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में तथा दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में बिजली के दरों में कोई अन्तर है ? यदि हां तो क्या सरकार इस में एकरूपता देने के बारे में कार्यवाही करेगी ?

डा० सुशीला नायर : हर एक नगरपालक निकाय को कानून द्वारा अधिकार प्राप्त है कि वह अपने दर निश्चित कर सकता है और वे ऐसा अपने खर्चे के अनुसार करते हैं ।

नदी बोर्ड

+
*4553. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की धारा 4 के अनुसार नदी बोर्डों की स्थापना के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : इस समय नदी बोर्डों का स्थापन आवश्यक नहीं समझा गया है । किन्तु मामले पर और विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार की यह राय होने के कारण क्या है कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : विशेष रूप से दो कारण हैं । इन बोर्डों की स्थापना का प्रयोजन ग्रामीण आयोजन तथा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की जांच करने का रखा गया था । इस कार्य के लिये पहले ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग विद्यमान है तथा राज्यों के संघटन हैं जो संतोषजनक कार्य कर रहे हैं । इसलिये आवश्यक नहीं समझा गया कि एक पृथक निकाय हो ।

फिर अधिनियम की धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि राज्य सरकारेंभी नदी बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव से सहमत हों परन्तु हमने देखा है कि बहुत राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मैसूर ने ऐसे बोर्ड बनाये जाने पर आपत्ति की है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह माननीय मंत्री की जानकारी में है कि अभी बहुत से संसाधन हैं कि जिन का अभी तक लाभ नहीं उठाया गया और यदि नदी बोर्ड बना दिये जायें तो वे उसी समय स्थानों पर

जांच कर सकेंगे। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास वह संसाधन नहीं है कि वह देश के एक दूरवर्ती कोने में जांच कर सकें।

डा० कु० ल० राव : ऐसा विचार है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सुदृढ़ बनाने में कम खर्चा बैठता है और वह सभी स्थानों पर कार्य भी कर सकता है। राज्य सरकारें स्वयं भी जांच तथा आयोजन करने में समर्थ हैं। विशेष राज्यों जैसे आसाम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सहायता करने के लिये तैयार है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्य ऐसे बोर्ड बनाने को सहमत नहीं तो क्या सरकार 1957 के इस नियम को रद्द करने पर विचार कर रही है।

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि इस अधिनियम का अभी तक उपयोग नहीं किया गया तो वास्तविक में यह बात विचार करने योग्य है कि इस अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिये कि यह अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग अन्तराज्य विद्युत तथा सिंचाई वादों को निपटाने में असमर्थ रहा है और नदी बोर्डों की स्थापना इसी कार्य को करने के लिये की जानी थी? इन बोर्डों की स्थापना के बिना सरकार यह समस्यायें कैसे सुलझायेगी?

डा० कु० ल० राव : नदी बोर्डों को अन्तर्राज्य वादों को निपटाना नहीं था वह सरकारी स्तर पर होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : जहां राज्य सरकारों के संसाधन प्रयप्ति नहीं क्या वहां वहां बाढ़ नियन्त्रण तथा नदी घाटी योजनाओं को सरकार अपने हाथ में लेने की नीति रखती है, यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डा० कु० ल० राव : मैं ने पहले ही कहा है कि यदि राज्य सरकारें जांच आयोजन तथा नक्शे आदि तैयार करने के लिये केन्द्र को कहें तो सरकार इस काम के लिये तैयार है।

Shri Onkar Lal Berva : As some of the States have objected to the setting up of these boards, has the Central Government tried to ascertain the basis on which they had rejected that?

डा० कु० ल० राव : बहुत सी राज्य सरकारों का विचार है कि नदी बोर्डों जैसे सलाहकार निकायों की स्थापना से कोई लाभ नहीं होगा।

Shri Onkar Lal Berwa : They must have stated some reasons for not agreeing to set up the same.

राज्यों द्वारा किया जाने वाला व्यय

+

*555. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को इस बीच यह सलाह दी है कि वे अपने व्यय में कमी करें;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना व्यय कम करने की सलाह दी गई है ; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) राज्यों की 1965-66 की सालाना योजना के बारे में योजना आयोग ने अपने पत्र में योजना और गैर-योजना व्यय की पूरी जांच करने का सुझाव दिया ।

सालाना योजना के लिए राज्य साधनों का निर्णय राज्यों के वित्त विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद किया गया और उसका विश्लेषण करते हुए राज्यों के अर्ध-विकास और गैर-विकास दोनों पक्षों के गैर-योजना व्यय की ब्यौरे वार जांच की गई ।

श्री कोल्ला वेंकैया : विवरण से स्पष्ट नही होता कि क्या राज्य सरकारों को व्यय घटाने के लिये कोई सुझाव दिया गया है अथवा नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना में गैर विकास कार्यों और गैर-योजना विकास कार्यों पर व्यय को क्रमशः 5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत तक सीमित रखने के बारे में उपसभापति ने राज्यों के मुख्य मंत्रीयों को लिखा है ।

श्री कोल्ला वेंकैया : सरकार के इस सुझाव का अनुमोदन किन किन राज्यों ने किया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न अनुमोदन का नहीं बल्कि तीसरी योजना के अन्तिम 4 वर्ष के लिये वार्षिक योजनाओं के बनाते समय इस विषय को ध्यान में रखने का है ।

श्री हेडा : एक आम विचार रेखा बताने के बजाय क्या योजना आयोग ने उन क्षेत्रों या विभागों के बारे में भी कहा है जहाँ अधिक व्यय किया जा रहा हो और इस व्यय में कटौती की सम्भावना हो ?

श्री ब० रा० भगत : योजना आयोग के पास हर वर्ष राज्यों की वार्षिक योजनाएं विचार के लिये भेजी जाती हैं और हम पिछले वर्ष की अपेक्षा असली व्यय के आधार पर विविध योजनाओं के ब्योरों का निरीक्षण करके अगले वर्ष के व्यय का निर्धारण करते है और नई आवश्यकताओं के ब्योरे का भी पूरा पूरा ध्यान रखते ।

डा० मा० श्री० अणे : आपके पत्र पर राज्य सरकारों को क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : वह भी सहकारी हैं और चाहती हैं कि गैर-योजना व्यय को जितना कम रखा जा सके रखा जाये ।

श्री रंगा : केन्द्रीय सरकार स्वयं अपने योजना परियोजनाओं के अतिरिक्त गैर-योजनाव्यय कम से कम रखने के लिये क्या पग उठा रही है और इस में कितनी सफलता मिली ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न का संबन्ध राज्य सरकारों से है पर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस का उत्तर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो उत्तर दे सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : गत वर्ष वित्त मंत्री ने भिन्न विभागों को इस मामले पर विचार करने को कहा था और इस वर्ष भी ऐसा कहा गया है । हम ने सभी योजना प्रस्तावों पर बहुत कड़ा नियंत्रण लगा रखा है गैर-योजना और गैर-विकास व्यय के संबंध में बहुत कड़ी बचत व्यवस्था है ।

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, the hon. Minister had stated at Patna that the per capita income in the whole country was more than Rs. 300, the

average for Bihar is Rs. 190 and for the area to which I belong the average at one place is Rs. 100 and at other place it is Rs. 50. In view of this Shri Asoka Mehta has written to all the States thus :

> "It is absolutely necessary to reduce the strain on the Centre's resources".

It means that the States should not ask for finances from the Centre as far as possible. As such, I would, like to know from the Government how the income of we people of backward areas and how we are going to progress ?

Shri B. R. Bhagat : It has also been suggested to the State Governments in this letter that they may increase their resources and set up such agricultural and other projects in a new way so that the income there might increase and the income is promptly effected.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अब तक काफी समय से यह विषय संसद और सरकार के विचाराधीन रहा है। क्या सरकार ने भिन्न राज्यों में उत्पादन न बढ़ाने वाले व्यय के विषय का कोई अध्ययन किया है और क्या बचत की सम्भावना के बारे में कोई अनुमान तैयार किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : राज्यों द्वारा व्यय का कोई अध्ययन नहीं किया गया इसीलिये यहां भी एसा सम्भव नहीं है। परन्तु राज्य योजना आयोग में कहीं कहीं ऐसा कर रहे हैं। वहां एक राज्य बजट बनाने का अनुभाग है और वित्त मंत्रालय में एक समन्वय विभाग है जो राज्यों के बजटों का कार्य करता है। यह दोनों कार्यालय इस प्रश्न को लेकर व्यय को यथासम्भव कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वह काल्पनिक कार्य ही कर रहे हैं। उन के पास कुछ तो आधार या आकडे होने चाहिये। यह कोई नया प्रश्न तो नही है।

श्री स० मो० बनर्जी : योजना आयोग से उप-सभापति ने कहा है की राज्य सरकारों केन्द्र पर पर बोझा न डाल कर अपने संसाधन जुटाने चाहियें। मैं जानना चाहता हू कि क्या राज्य सरकारों को उनके अपने राज्यों में कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये विशेष हिदायतें दी हैं।?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिलकुल ही दूसरी बात है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Resignation of Nagaland Legislators

+
No. 6.
Shri Onkar Lal Berwa
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y. D. Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri P. C. Barooah :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that twelve opposition legislators of Nagaland have resigned their membership of Legislative Assembly;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid legislators have joined with Naga rebels after submitting their resignation;

(c) if so, the action proposed to be taken by Government against them; and

(d) the full details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) & (d) Does not arise.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know whether the reason for their resignation was to force the Government to agree to the unconditional permission to Phizo to came back to Nagaland ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता।

Shri Onkar Lal Berwa : In case Government consider Nagaland to be part of the country, why should it be handled by the Ministry of External Affairs.

Mr. Speaker : This is a policy matter..

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि नागा लैंड विधान सभा के 12 सदस्य नागा विद्रोहियों की सहायता से चुनाव जीते और उन्हों ने त्यागपत्र दे दिया है जिसके कारण है (क) कि उन्हें वहां की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था पर आस्था नहीं है और (ख) वह विद्रोही तत्वों की भारतीय संघ से नागालैंड की स्वतंत्रता की मांग को बलवान बनाना चाहते है और यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने समस्य के इस विशेष पैहलू की जांच की है और यदी हां तो उनका क्या परीणाम हुआ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उन्होंने त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं बताया पर अनुमान लगाया जाता है कि......

श्री हेम बरुआ : उन्हों ने एक वक्तव्य दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह पहले उत्तर तो सुनलें।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उन्हों ने अपने त्यागपत्र में कोई भी कारण नहीं दिया। पर लगता है कि यदि बातचीत असफल रही तो उन्हें इसके लिये उत्तरदायी समझा जायेगा और इसीलिये इससे बचने के लिये उन्हों ने इसी समय त्यागपत्र देना उचित समझा।

Shri Prakash Vir Shastri : The report sent by the Chief Minister, Shri Silu Aou, and the Governor, Shri Vishnu Sahai regarding the resignation of these 12 members, reveals that the main cause for this was Peace-Talks and if so, to avoid this is it not better to postpone the talks ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार बातचीत स्थगित करना उचित नहीं समझती।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र के कारणों पर कुछ टिप्पणीयां दी हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान त्यागपत्र देने वालों द्वारा दी गयी प्रेस विज्ञप्ति की ओर गया है ? और यदि हां तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया

है और क्या उनके विचार में उन समस्यों की सहायता के बिना ही शान्ति वार्ता चल सकती है और इसका फलदायक परिणाम निकल सकता है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार इन 11 या 12 सदस्यों के त्यागपत्र को कोई महत्व नहीं देती और उनका विश्वास है कि यह व्यक्ति नागालैंड प्रशासन और विद्रोहियों के बीच पुल का कार्य नहीं करेंगे और शान्ति वार्ता चलती रहेगी।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that those who have resigned have said that since the appointment of the sponsors has not been made by the Central Government, they are resigning ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं। यह सब गलत है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रीजी ने अभी कहा है कि इन 12 विधायकों के त्यागपत्र को वह कोई महत्व नहीं देती। परन्तु उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें शान्ति वार्ता के बारे में कुछ विशेष बातें कही गयी हैं और नागा विद्रोहियों की मांग के बारे में भी कहा है। यदि वह इन सब को कोई महत्व नहीं देतीं तो अब जब कि नागालैंड जसा प्रश्न हमारे सामने है वह हमें इस के बारे में क्या जानकारी दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर दे दिया गया। सरकार का उत्तर था कि वह इस वक्तव्य को कोई महत्व नहीं देती।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट था। दो माननीय सदस्यों ने इसे उठाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दखा है, यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? यह कहना कि वह इस को कोई महत्व नहीं दती इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि क्या उन्होंने वक्तव्य का अध्ययन किया है या नहीं?

श्री हेम बारुआ : मामले का अन्त विधान सभा के सदस्यों के त्यागपत्र पर ही नहीं हो जाता। यदि वह कहें कि विधान सभा को त्यागपत्र देने तक ही की स्थिति का उन्हें ज्ञान है तो फिर हमें किसी प्रकार भी पूरी बात का पता नहीं चल सकता। हमें तो इसके बाद उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर ध्यान देना है और इन सब बातों पर ध्यान देकर मंत्री महोदय यदि एक वक्तव्य दें तो हमें सब बातों का ज्ञान हो जाये।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, हम उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : श्रीमान् मैंने स्पष्टतः बता दिया है......

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते है कि क्या सरकार या मंत्री महोदया ने वह वक्तव्य देख कर उसका अध्ययन किया है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार ने वक्तव्य देखा है और अध्ययन किया है और इसके बाद ही वह इस निर्णय पर पहुंची है कि शान्ति वार्ता के संबंध में इसका कोई महत्व नहीं है। यह व्यक्ति पुल का कार्य नहीं करेंगे......

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री नाथ पाई : उनका उत्तर तो बीच में ही रह गया।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति ।

श्री हरि विष्णु कामत : नागालेंड के मामले वैदशिक कार्य मंत्रालय ने गलत रूप से अपने हाथ में ले रखे हैं जैसे वह एक विदेश हो। इनको गृह मंत्रालय को क्यों नहीं सौंपा दिया जाता जैसे गोआ को उचित ही इस मंत्रालय को सौंप दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही कहा है......

श्री हरि विष्णु कामत : आप ने सरकार को भी मंत्रणा दी है।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न एक दूसरे माननीय सदस्य ने अभी अभी पूछा था। मैं ने कहा था कि प्रश्न काल के दौरान इसका निर्णय नहीं हो सकता।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सभी एक साथ नहीं बोल सकते।

श्री रंगा : पहले जब हम ने यह बात उठाई थी तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री जी यहां नहीं है और यह मामला उन से पूछ कर तय किया जाना है। इस के बाद दो से अधिक सप्ताह बीत चुके हैं परन्तु पता नहीं कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने जैसा आप ने हमारी ओर से कहा था उसके अनुसार कोई निर्णय क्यों नहीं लिया।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस से पहले जब यह मामला इस सभा में उठाया गया था तो गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और आपने भी कहा था कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। जहां तक मुझे स्मरण है आपने कुछ ऐसा ही कहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप "ऐसा ही कुछ" क्यों कहते हैं जबकि आप लम्बे लम्बे उद्धरण दे सकते है ?

श्री कामत : पर इस समय तो उनकी स्मरण शक्ति काम नहीं कर रही है।

श्री हेम बरुआ : इस से पता लगता है कि आप भी इस मांग से सहमत हैं कि यह कार्य गृह मंत्रीजी को ही करना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमन, इस मामले से एक संगत प्रश्न उठता है कि यद्यपि आप ने नीति पर प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी है यह प्रश्न फिर भी हर एक के मन में है कि नागालैंड का मामला अब भी विदेश मंत्रालय के हाथ में है और भारत की कुल जनता इस बात से असंतुष्ट है और वह जानना चाहती है कि यह मामला गृह मंत्री के पास न हो कर वैदेशिक कार्य मंत्रालय के हाथ में है ?

श्री नाथ पाई : श्रीमन, मैंने जब ऐसा ही प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर वादविवाद के समय उठाया था तो प्रधान मंत्रीजी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा था, "कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर वादविवाद के समय हम नागालेंड के बारे में बात नहीं करना चाहते" मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि प्रधान मंत्री जी ने बीच में बोलते हुए हमारे साथ सहानुभूति दिखाई थी और तीन सप्ताह के लगभग होने वाले है जब उन्हों ने ——अस्पष्ट तौर पर सही——यह आश्वासन दिया था कि वह आवश्यक पग उठायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैंने ऐसा कहा था। परन्तु यह तो आन्तरिक प्रबंध है। मैं आशा करता हूं कि सभा हमें समय देगी ताकि हम इसपर विचार कर सकें क्योंकि इस मामले के उपबन्धों के बारे में नागाओं के साथ भी कुछ संधियां हो चुकी हैं।

श्री रंगा : परन्तु यह संधि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास क्यों रखी जाए ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस पर विचार करना होगा। जैसा मैंने पहले कहा है यह आन्तरिक मामला है और हम इस पर निर्णय ले लेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस मामले पर आगे वाद विवाद की आज्ञा देने का मेरा विचार नहीं है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : होगा, परन्तु आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई सदस्य खड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : ऐसा कोई करार नहीं हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यदि प्रधान मंत्री जी ने गलत कहा हो तो आप मुझे लिख सकते हैं परन्तु आप इस प्रकार यहां यह प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : हम तो यह कह रहे थे कि यह बात स्पष्ट नहीं हुई न कि यह कि वह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह एक आन्तरिक मामला है और जहां तक इन सुझावों का संबंध है सरकार निर्णय लेने से पूर्व इन पर विचार के लिये कुछ समय चाहती है।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु उन्होंने तो नागाओं के साथ संधि के बारे में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर भी विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : मेरा निवेदन यह है कि हमें तो उस वाक्य से आपत्ति है कि क्योंकि नागाओं के साथ एक सन्धि की हुई है .... **(अन्तर्बाधायें)**।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस पर आगे वादविवाद की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री नम्बियार खडे हुए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मुझे खेद है।

श्री नाथ पाई : यह एक सुझाव नहीं है, यह उनकी अपनी धारणा है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम तो केवल यह जानना चाहते थे कि क्या इस सन्धि में यह भी है कि

अध्यक्ष महोदय : मैं समय काल में इस विषय पर वाद विवाद की आज्ञा नहीं दे सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ग्राम्य विकास

*554. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या योजना मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में श्री चेस्टर बोल्स द्वारा पेश की गई योजना के व्यौरे की राज्य सरकारों की सलाह से जांच की जा चुकी है; और

(ख) इस योजना के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक जिले का किस सीमा तक घनीभूत तथा एकीकृत विकास करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) लगभग सभी मुख्य मंत्रियों के विचार प्राप्त हो गये हैं और योजना आयोग शीघ्र ही इस योजना पर विचार करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा व्यापार गृहों पर छापा

*556. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रेलवे मंत्री द्वारा 25 अक्तूबर, 1964 को राजकोट में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 26 अक्तूबर, 1964 को "टाइम्स आफ इंडिया" के बम्बई संस्करण में प्रकाशित हुआ है और जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केवल सन्देह के आधार पर कुछ व्यापार गृहों पर बहुत रात गये मारे गये छापों की निन्दा की है ;

(ख) क्या निदेशालय को कोई ऐसा गुप्त अथवा मौखिक निदेश दिया गया है कि वह उन व्यापार गृहों पर छापें न मारे जो दान देने के लिये तैयार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) सरकार ने समाचार को देख लिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बहुत रात गये या केवल संदेह पर कोई तलाशियां नहीं ली जाती हैं।

बरौनी औद्योगिक पट्टी

*557. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सेमरिया ग्राम के समीप गंगा के कटाव के कारण बरौनी औद्योगिक पट्टी के संभावित खतरे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई व बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : **(क) और (ख)** मोकामेहु पर रेलवे पुल के प्रतिस्रोत गंगा के पश्चिमी तट में काफी भू-कटाव हो गया है, और कटाव प्रभावित जगह में से पानी के अन्त:प्रवेश को रोकने के लिए एक पश्चवर्ती तट निर्मित कर दिया गया था भू-कटाव अब कम हो रहा है और उस स्थिति पर रेलवे अधिकारी ध्यान दिये हुए हैं।

क्वार्टरों का 'आउट आफ टर्न' दिया जाना

***558. श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वार्टरों का 'आउट आफ टर्न' दिया जाना किस तारीख से रोक दिया गया है ;

(ख) क्वार्टरों को 'आउट आफ टर्न' अभी भी किन परिस्थितियों में दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'अलाटमेंट' नियमों में कुछ छूट देने का है, जिससे (1) बिमारी, (2) पड़ौसियों से लड़ाई, (3) शाकाहारी तथा मांसाहारी लोगों की धार्मिक भावना में ठेस लगाना, तथा (4) प्राइवेट मकानों से निष्कासन आदि संबंधी कठिनाइयां दूर की जा सकें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) मैडिकल के अलावा और कारणों पर "आउट आफ टर्न अलाटमेंट" दिया जाना, जून, 1962 से बन्द कर दिया गया था। जून, 1964 से मैडिकल के आधार पर भी "आउट आफ टर्न एलाटमेंट" को बन्द कर दिया गया।

(ख) कहीं कहीं खास वजूहात को सामने रखते हुए "आउट आफ टर्न अलाटमेंट" कभी कभी की जाती है।

(ग) जी नहीं।

भारत पाक सीमा पर तस्कर व्यापार

***559. श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1964 के दौरान पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट बहुत से तस्कर व्यापारी पकड़े गये थे और उनके पास से 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य का चोरी-छिपे लाया गया माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गये थे ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

वित्त उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1964 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा के पश्चिम बंगाल की तरफ अनेक स्थानों पर चोरी छिपे रूप में लाई गई लगभग 2,22,000.00 रु० के मूल्य की वस्तुओं को पकड़ा गया था और इस संबंध में 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) मामलों को उनके गुण-दोषों के आधार पर शीघ्रता से निपटाने के लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

ब्रिटेन में बैंक दर में वृद्धि

***560. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कौल्ला वैंकैया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने बैंक दर 5 से 7 प्रतिशत बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

आसाम में वित्तीय संकट

*561. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रकार के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि आसाम में वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है जिसके कारण उसकी योजना के सफल होने की तब तक कोई आशा नहीं है जब तक केन्द्र उसकी मदद न करे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में आसाम की सरकार से कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ समाचार-पत्रों में छपी इस प्रकार की कुछ खबरों के अलावा सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) असम सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद

*562. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामलों से सम्बन्धित 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में जांच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम 1878 तथा विदेशी विनियम अधिनियम, 1847 के उपबन्धों के अंतर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा है।

छितौनी बांध

***563. श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सिचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी गंडक जैसी तेज प्रवाह वाली नदी की बाढ़ से विशाल क्षेत्र को बचाने के लिये बहुत कठिनाई से बनाया गया छितौनी बांध, इस नदी की धारा भयानक बदल जाने के कारण, बहने ही वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय तथा राज्य सरकार ने बांध को बचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ताकि लाखो एकड़ भूमि में खड़ी फसल तथा छितौनी के चीनी कारखाने को नष्ट होने से बचाया जा सके ?

सिंचाई व विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) इस वर्ष बिहार राज्य में छितौनी बांध के अनुस्रोत पुराने रेलवे तटबंध में एक दराड़ पड़ गई थी।

(ख) भूमियों को बचाने के लिये ठोकर और पश्चवर्ती बांध बनाए जा रहे हैं।

परादीप पत्तन

***564. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या योजना आयोग को मालूम हुआ है कि उड़ीसा सरकार ने परादीप पत्तन को एक विशाल पत्तन बनाने के लिए राज्य के राजस्व में से 10 करोड़ रुपये से भी अधिक धन व्यय कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई योजना समेत कुछ छोटी परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि का, उपरोक्त कार्य के लिए प्रयोग कर लिया गया था ; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्य में इस धनराशि को लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति ले ली गई थी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राज्य योजना के अन्तर्गत परादीप पत्तन पर पहले तीन वर्षों के दौराण लगभग 8 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने राज्य की सालाना योजना बनाते समय जिस समंजन का प्रस्ताव किया है उसे 1964–65 और 1965–66 की सालाना योजना बनाते समय ध्यान में रखा गया है। राज्य की पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

बिजली की दर

***565. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों की समिति का यह विचार है कि लगभग सभी राज्यों में बिजली की दर बढ़ाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई व विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) योजना आयोग ने बिजली उपक्रमों के लिए मूल्य निर्धारण नीति की जांच करने और सिफारिशें करने के लिये एक कार्यकारी दल स्थापित किया था। इस दल ने राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक व्यवस्था और बिजली सप्लाई दरों को बढ़ाने के प्रश्न तथा तत्संबंधी मामलों की सामान्य रूप से जांच की और अपनी रिपोर्ट जून, 1964 में योजना आयोग को प्रस्तुत की। इस दौरान, जैसा कि जनवरी, 1964 में हुए राज्यों के सम्मेलन में निर्णय किया गया था, राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विद्युत् टैरेफ समिति, जिस के संयोजक मद्रास के उद्योग मन्त्री श्री आर० वेंकटारमन थे, बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति तथा कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

2. बिजली परियोजनाओं पर लगी पूंजी से उचित लाभ उठाने के लिये अगली कार्यवाही के बारे में अंततः स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखकर, राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी।

पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

*566. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 दिसम्बर, 1964 को पालम हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने चोरी छिपे सोना लाने ले जाने वालों के संसार के सब से बड़े गिरोह का पता लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना सोना पकड़ा था ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) 4 दिसम्बर 1964 को पालम हवाई अड्डेपर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से एक व्यक्ति लीबनानी दूसरा सीरियाई राष्ट्रिक था और उनसे 95 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सम्बन्ध तस्करों के किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से है।

(ग) उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और वे इस समय अदालती हिरासत में हैं। सीमाशुल्क अधिनियम और विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम अंतर्गत उनपर अभियोजन चलाने का विचार है।

उड़ीसा में पीने के पानी की सम्भरण योजना

1474. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कटक नगर तथा रूरकेला नगर के लिये जल सम्भरण बढ़ाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य सरकार से कटक नगर में पीने के पानी के सम्भरण को बढ़ाने के लिये कोई योजना प्राप्त नहीं हुई। रूरकेला नगर के लिये राज्य सरकार ने 1.03 करोड़ रू० की एक योजना का स्थूल प्राक्कलन भेजा था। इस को "केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग संस्था" की विशेष सलाह के साथ आवश्यक परिवर्तन करने के लिये वापिस भेज दिया गया है। परिशोधित प्राक्कलनों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मानसिक रोग अस्पताल

1475. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित मानसिक रोगों अस्पताल की तरह देश में और अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख) रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल में रोगी अपना खर्चा स्वयं देते हैं परन्तु अब यह एक शिक्षा संस्था के रूप में भी कार्य कर रहा है। मानसिक रोगों के अस्पताल बनाने के यह प्रस्ताव हैं :—

पश्चिम बंगाल : बरहामपुर, ज़िला मुर्शिदाबाद में 18.69 लाख रु० के अनुमानित व्यय से एक 350 बिस्तरों के अस्पताल की अनुमति दे दी गई है। निर्माण कार्य जारी है। कलकत्ता में 12.58 लाख रू० की पूंजीगत लागत से मानसिक रोगों के लिये एक संस्थान का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। संस्थान में 100 बिस्तरों का प्रबन्ध होगा।

दिल्ली : शाहदरा में 116 बिस्तरों के मानसिक रोगों के अस्पताल का निर्माण हो रहा है। 87 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है ताकि अस्पताल का विस्तार कर के 200 रोगियों के लिये प्रबन्ध किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश : चतुर्थ योजना में एक मानसिक अस्पताल बनाने पर विचार हो रहा है।

मणिपुर : इम्फाल में एक मानसिक अस्पताल बनाने पर विचार हो रहा है।

मद्रास : राज्य सरकार ने मदुराई में एक 360 बिस्तरों का मानसिक अस्पताल बनाने का सितम्बर, 1961 में मंजूरी दी थी परन्तु नवम्बर 1962 में आपात के कारण निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था। सरकार 1965–66 के बजट में इस योजना के लिय व्यवस्था करने पर विचार कर रही है।

केरल : कोटायम में एक और मानसिक रोगों का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र : चतुर्थ योजना काल में औरंगाबाद में एक मानसिक रोगों का हस्पताल बनाये जाने पर विचार हो रहा है।

इस के अतिरिक्त चतुर्थ योजना काल में यह और कार्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में करने का विचार है :—

(1) ज़िला अस्पतालों में मानसिक चिकित्सा के क्लिनिक खोलना।

(2) शिक्षा-हस्पतालों में 25 मानसिक चिकित्सा क्लिनिक खोले जाना;

(3) हर एक राज्य में मानसिक रोगियों के लिये एक "दिवस हस्पताल" खोलना।

(4) अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर में 300 बिस्तरों का हस्पताल खोलना।

अल्पविकसित क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

1476. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने देश में अल्पविकसित क्षेत्रों के विकास के प्रोत्साहनार्थ क्या क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वर्तमान प्रोत्साहन के उपाय जो सम्पूर्ण देश में लागू हैं, यह हैं:— पांच सालों के लिये कर से छूट, विकास सम्बन्धी छूट तथा उद्योगों पर घटाये गये दरों पर कर। सरकारी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के स्थापित करने के स्थानों का निश्चय करते समय अल्पविकसित क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है। देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करते समय अल्पविकसित क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस नीति में भी इन क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सम्भरण योजनायें

1477. **श्री उइके** :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री बाबूनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 17 सितम्बर, 1964, के अतारांकित प्रश्न संख्या 761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में पानी सप्लाई की 38 योजनाओं की पड़ताल की जा चुकी है तथा उन का अनुमोदन कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई 38 ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पानी सम्भरण योजनाओं की पड़ताल की जा चुकी है परन्तु उन का अनुमोदन नहीं किया गया। इस का कारण यह है कि राज्य सरकार ने इन योजनाओं को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संघटन की तकनीकी राय के अनुसार संशोधित करना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रंगरोगन के लघु उद्योग पर उत्पादन शुल्क

1478. **श्री चुनी लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जुलाई, 1963 से पहले स्थापित रंगरोगन के लघु उद्योगों तथा इस तिथी से बाद में लगाये गये रंगरोगन के उद्योगों के उत्पादन शुल्क में भेद हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क के विषमता के कारण रंगरोगन लघु उद्योग का विस्तार समाप्त हो गया है तथा 6 जुलाई, 1963 के बाद स्थापित हुई उद्योगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; तथा

(ग) क्या सरकार इस विषय के नियमों का संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि रंगरोगन के सभी लघु उद्योगों को बराबर अवसर मिल सके ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक अधिसूचना के अनुसार दी गई छूट के अनुसार 6 जुलाई, 1963, से पहले रंगरोगन के कारखाने स्थापित करने वाले निर्माताओं को रंग-रोगन के शुल्क में कुछ रियायतें हैं . . । इसी प्रकार की परन्तु कुछ कम रियायतें उन रंगरोगन के निर्माताओं को भी दी गई हैं जिन्होने 6 जुलाई, 1963 के बाद कार्य आरंभ किया है । यह भेद इस लिये किया गया है ताकि सामान्य करदाता पर अनियमित एककों की वृद्धि के कारण बोझ न पड़े ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं । इस के विपरीत सरकार की जानकारी के अनुसार 6 जुलाई, 1963 के बाद 311 एकक वास्तव में स्थापित हुए हैं ।

राकफ़ैलर प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान

1479. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राकफ़ेलर प्रतिष्ठान ने भारतीय संस्थाओं को विशेष अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन का व्यौरा क्या है ; तथा

(ग) क्या अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिये दिये गये हैं, यदि हां, तो उन का व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां । राकफ़लर प्रतिष्ठान ने भारतीय संस्थाओं के लिये अनुदान दिये हैं ।

(ख) तथा (ग) मांगी गई जानकारी 1–1–58 से 30-9-64 तक की अवधि के लिये पुस्तकालय में रखे गये विवरण में हैं [**देखिए संख्या एल० टी० 3648/64**] । वर्ष 1958 से पहले की जानकारी उपलब्ध नहीं ।

औद्योगिक बस्तियों के लिये वित्त-प्रबन्ध

1480. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने संयुक्त स्कन्ध समवायों द्वारा आरम्भ की गई औद्योगिक बस्तियों के लिए वित्त का प्रबन्ध करने वाली नई योजना को प्रारंभ कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन स्कन्ध समवायों के नाम क्या हैं तथा उपर्युक्त योजना के अधीन इन से कितनी वित्तीय सहायता की धनराशि प्राप्त हुई ; **और**

(ग) जीवन बीमा निगम ने वित्तीय सहायता देने के लिये समवायों को किस आधार पर चुना था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) निगम ने औद्योगिक बस्तियों के लिये वित्त का प्रबंध करने की योजना को 1962 में प्रारम्भ कर दिया था । या तो सहकारी समिति या संयुक्त स्कन्ध समवाय औद्योगिक बस्ती स्थापित कर सकते हैं ।

(ख) **समवाय का नाम**	**राशि**
फलना उद्योग मण्डल लिमिटेड, फलना (राजस्थान)	4,10,000 रुपये

(ग) इस योजना के अन्तर्गत ऋण के सभी आवेदनपत्रों का प्रायोजन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा होना चाहिये जो ऋण की गारंटी देंगी। क्योंकि चयन संपूर्णतः राज्य सरकारों का विषय है इस लिये निगम ने इस बारे में कोई आधार निश्चित नहीं किये हैं।

बचत

1481. **श्री सेझियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 1964 से अक्तूबर 1964 तक नीचे दिये गये प्रत्येक साधनों से मासवार कितनी शुद्ध बचत हुई ?

(1) राष्ट्रीय अल्प बचत संघ ;
(2) डाक बचत के लेखे ;
(3) अनुसूचित बैंक ;
(4) जीवन बीमा निगम ;
(5) एकक न्यास (यूनिट ट्रस्ट) ;
(6) सहकारी बैंक तथा समितियां ; और
(7) अन्य संघ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० 3649/64**] ।

जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण

1482. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा अभिकर्ता संघ ने जीवन बीमा निगम को, पांच अर्द्ध-स्वायत्तशासी निकायों में जो देश के पांच जोनों की सेवा कर सकें, बांटने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) संघ की दक्षता को बढाने के उपायों पर अध्ययन हो रहा है तथा जीवन बीमा जिगम के परामर्श से उन पर विचार किया जायगा।

कर संग्रह

1483. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर-निर्धारण करने की दोषपूर्ण रीतियों के कारण लोगों पर अधिकाधिक कर लगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसे उपाय किये हैं जिस से लेखों के सही निर्धारण के आधार पर आयव्ययक में सुधार हो सके ; और

(ग) उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा का पेंशनभोगियों के लिये विस्तार

1484. **श्री सं० मो० बनर्जी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 24 सितम्बर 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का दिल्ली के सरकारी पेन्शनभोगियों तक विस्तार करने के सम्बन्ध में अब तक निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) पालनहेतु हिदायतें विचाराधीन हैं तथा उस के लिये शीघ्र ही आदेश दे दिये जायेंगे ।

सिंचाई और विद्युत गोष्ठी

1485. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें वेंकटासुब्बया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिवेन्द्रम में सिंचाई और विद्युत् संबंधी अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में कौन कौन से निर्णय लिये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां । त्रिवेन्द्रम में 20 अक्तूम्बर से 22 अक्तूबर 1964 तक सिंचाई और विद्युत् की नवीं गोष्ठी हुई थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3650/64]** ।

नर्सों का अखिल भारतीय सम्मेलन

1486. **प्र० चं० बरुआ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछले अक्तूबर में बंगलोर में हुए अखिल भारतीय नर्स सम्मेलन में उठाई गई मांग की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया था कि नर्सों के लिये दिन और रात में कुल मिला कर एक सप्ताह में 48 घंटों की डयूटी होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सरकार को संकल्प की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु उन्हें अक्तूबर 1964 में प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प का पता है। 1961 में पारित किये गये प्रशिक्षित नर्स संस्था के समान-संकल्प को सभी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के लिये लागू करने की सिफारिश की गई थी तथा यथासंभव लागू किया जा रहा है।

कर-अपवंचन

1487. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में अक्तूबर में आय-कर अधिकारियों ने छापा मारा था जिस में एक व्यक्ति ऐसा भी पकड़ा गया था जिस के पास 25 लाख रुपये थे परन्तु जिस ने कभी कर नहीं दिया ;

(ख) देश में ऐसे कितने कर-अपवंचक पकड़े गये हैं तथा उन्हें दण्ड दिया जा चुका है ; और

(ग) क्या सरकार ने आय-कर अधिकारियों द्वारा पदयात्रा की निरन्तर प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय कर लिया है जैसे वह बम्बई में की गयी थी तथा जिस से 50,000 नये कर दाताओं का पता लगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) बम्बई तथा अन्य स्थानों पर आय-कर अधिकारियों ने कर-दाताओं पर ही छापे मारे थे और ऐसे किसी व्यक्ति पर नहीं जिस ने अभी तक कर न दिया हो।

(ग) सरकार ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयत्न कर रही है जो कर नहीं देते ताकि उन पर कर लगाये जा सकें।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर

1488. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के लिये रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अब तक कितने क्वार्टरों का वर्गवार निर्माण हो चुका है ;

(ख) उन में से कितने क्वार्टर जल तथा विद्युत् प्रदाय के अभाव के कारण खाली पड़े हैं तथा कितनी देरी से ; और

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने क्वार्टर अभी निर्माण की अवस्था में हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग) रामकृष्णपुरम में बन चुके तथा बन रहे क्वार्टरों की संख्या निम्न प्रकार है :

श्रेणी तथा वेतन सीमा जिस के लिये कोई हकदार है	निर्मित	निर्माण अवस्था में
1. (रुपये 110 से कम)	1928	808
2. (रुपये 250 से कम परन्तु रुपये 110 से कम न हों)	1220	2744
3. (रुपये 400 से कम परन्तु रुपये 250 से कम न हों)	468	56
4. (रुपये 700 से कम परन्तु रुपये 400 से कम न हों)	1220	152
5. (रुपये 1300 से कम परन्तु रुपये 700 से कम न हों)	–	138
6. (रुपये 2250 से कम परन्तु रुपये 1300 से कम न हों)	–	184
	4836	4082

कोई निर्मित क्वार्टर जल तथा विद्युत जैसी सुखसुविधाओं के अभाव के कारण खाली नहीं पड़ा है ।

नगरजूनसागर बांध के समीप सड़क पुल

1489. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरजूनसागर बांध स्थल के समीप कृष्णा नदी पर सड़क पुल के लिये डिजाइन का अनुमोदन हो गया था ; और

(ख) क्या मोटरगाड़ी आदि यातायात के लिये किसी बड़े सड़क पुल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत उद्योग ने परियोजना अधिकारियों को पुल के डिजाइन के बारे में अपनी तकनीकी टिप्पणी दे दी थी ।

(ख) नहीं श्रीमन् ।

जलानुवेधन

1490. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलानुवेधन को रोकने के लिये तथा भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों को पर्याप्त जल निस्सारण सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय के दो एकक पृथक् पृथक् वृहद योजनायें तैयार कर रहे हैं ;

(ख) क्या योजना प्रदेशों के आधार पर बनाई जायेगी ;

(ग) क्या कोई ऐसी समिति नियुक्त की गई है जिस का काम परियोजना क्षेत्र का अग्रिम अध्ययन कर के सिंचाई व्यवस्था का उचित तरीका निकालना है, जिस से जल का समुचित लाभप्रद प्रयोग किया जा सके ; और

(घ) क्या सरकार ने वालूमीट्रिक आधार पर जल-प्रभार लगाने के प्रश्न पर विचार किया है जिस से जल का सिंचाई में अलाभप्रद अथवा अतिरिक्त प्रयोग न हो सके ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने दो विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की हैं जो (एक) राजस्थान और पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों, और (दो) पंजाब, राजस्थान के जिला भरतपुर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के बाढ़ और जल निस्सारण के प्रश्नों पर वैज्ञानक रूप से विचार करेंगी तथा इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सारण के लिये व्यापक योजनाओं का सुझाव देंगी। तीसरी समिति आन्ध्र प्रदेश के डेलटा क्षेत्रों में जल निस्सारण के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) इस प्रश्न पर सरकार उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट समिति के प्रतिवेदन के मिलने पर विचार करेगी।

पोषाहार मंत्रणा समिति

1491. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पोषाहार मंत्रणा समिति को 1962 में सेवी-वर्ग श्रेणी के परिवारों की पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की जांच करने के बारे में आदेश दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की उपपत्तियां क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषाहार मंत्रणा समिति ने मार्च 1962 में हुई दूसरी बैठक में सेवी-वर्ग परिवारों की पोषाहार की आवश्यकताओं के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की थी। फिर समिति ने अगस्त 1964 में बम्बई में हुई अपनी चौथी बैठक में कैलोरी तथा अन्य पोषाहार की वस्तुओं के उपबन्ध से सम्बन्ध रखने वाली उपसमिति की सिफारिशों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपसमिति की सिफारिशों पर भारतीय भिषगीय गवेषणा परिषद् को पोषाहार मंत्रणा समिति को भी विचार करना चाहिये।

इस लिये जनवरी 1965 में होने वाली अपनी आगामी वार्षिक बैठक में भारतीय भिषगीय गवेषणा परिषद् की पोषाहार मंत्रणा समिति उपर्युक्त उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगी इस के पश्चात समिति की सिफारिशें राष्ट्रीय पोषाहार मंत्रणा समिति को दिखाई जायेंगी।

प्रबन्ध अभिकरण पद्धति

1492. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने क्षेत्रीय निदेशकों और समवायों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में यह सुझाव दिया था कि सुप्रतिष्ठापित उद्योगों को अगले वर्ष से प्रबन्ध अभिकरण पद्धति का अन्त कर देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये किन उद्योगों को चुना गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 27/28 अक्टूबर, 1964 को नई दिल्ली में होने वाले क्षेत्रीय निदेशकों तथा समवायों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में, जो समवाय विधि बोर्ड के तत्वावधान में हुआ था, वित्त मंत्री के कहा था कि सुप्रतिष्ठापित उद्योगों में प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के बने रहने अथवा न बने रहने के प्रश्न पर इस बोर्ड को विचार करना चाहिये ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है और अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

तस्कर व्यापार

1493. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अक्तूबर, 1964 को डम-डम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने कई पेटियां पकड़ीं जिन में बड़ी मात्रा में घड़िया, ट्रांजिस्टर सेट, नाइलोन कपड़े और दूसरी उपभोगता की वस्तुएं थीं जिन का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाहीं करने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) डम-डम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने छः गत्ते की पेटियां पकड़ीं जिन में से 170 घड़ियां, 20 ट्रांजिस्टर रेडियो सेट, 400 गज़ नाईलोन कपड़ा और कुछ और उपभोगता की वस्तुएं थी । पकड़ी गयीं वस्तुओं का लागत, बीमा और भाड़ा सहित मूल्य 35,000 रुपये है परन्तु इनका बाजार भाव एक लाख रुपये से अधिक बताया जाता है । मामले की आगे जांच हो जाने पर ही उचित दण्ड दिया जायेगा ।

परिवहन नीति और समन्वय पर समिति

1494. { **श्री हेमराज** :
{ **श्री हरि विष्णु कामत** :

क्या योजना मंत्री दिनांक 17 नवम्बर, 1964 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय पर समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) परिवहन नीति तथा समन्वय पर समिति का प्रतिवेदन पूरा किया जा रहा है और आशा है वह उसे जनवरी 1965 के अन्त तक दे देगी ।

(ख) जी हां ।

उड़ीसा में ग्राम्य जल संभरण

1495. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा में ग्राम्य जल योजनाओं का काम हाथ में लेने के लिए सहायता का अनुदान दिये जाने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी योजनाओं के लिये कहा है और अब तक कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने 55 ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा था और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्था ने जांच के बाद 48 योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 56,20,000 रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार को सूचना दे दी है । शेष सात योजनायें इस तकनीकी राय के साथ लौटाई गयी हैं कि उन्हें शहरी योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाये । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी जाती है जिन में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम (ग्राम्य) भी शामिल है और इनके लिये सहायता हर एक योजना के लिये पृथक पृथक न हो कर इकट्ठी ही दी जाती है ।

धन-कर

1496. **श्री हेमराज** :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार 1961-62, 1962-63, 1963-64 और चालू वर्ष के दौरान धन-कर की कितनी राशि का निर्धारण हुआ; और

(ख) राज्य-वार प्रति वर्ष अब तक इन वर्षों में कितना कर एकत्र किया गया और कितना शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) राज्य-वार 1961–62, 1962–63, 1963-64 और चालू वर्ष में जितनी राशि धन-कर की निर्धारित की गयी वह साथ लगे विवरण I में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 3651/64]**

(ख) 31-10-1964 तक इन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार जितनी राशि एकत्रित हुई साथ लगे विवरण II में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये सं० एल० टी० 3652/64]**

नागपुर में घड़ियों पर छापे

1497. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रा० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नागपुर में घड़ियों की दुकानों पर छापे मार कर करीब एक लाख रुपये की चोरी छिपे लाई गई घड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया गया;

(ख) यदि हां तो कितनी घड़ियां छीन ली गई; और

(ग) देश में तस्कर माल के बड़े भंडारों की खोज के लिये और क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : 10 नवम्बर, 1964 को कुछ घड़ियों की दुकानों पर छापों में 12,500 रुपये के मूल्य की 119 घड़ियां इस संदेह पर कि यह विदशों से चोरी छिपे लाई गई हैं ।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के बचाव और गुप्तचर अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है और उन्हें पुलिस प्राधिकारियों की सहकारिता से और विश्वस्त सूचकों द्वारा तस्कर माल को ढूंढने को कहा गया है ।

परिवार नियोजन के लिये अनुदान

1498. **श्रीमति सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1964 में फोर्ड प्रतिष्ठान ने भारत सरकार को पर्याप्त राशि का अनुदान दिया है जिस से वह ज़ोरदार (प्रकृष्ट) परिवार नियोजन द्वारा जनन दर घटाने में सहायता हो सके;

(ख) यदि हां तो इस अनुदान की कुल राशि कितनी है; और

(ग) किन राज्यों में और किस प्रकार यह राशि व्यय की जाएगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) जी हां। फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा भारत सरकार को 1,246,000 डालरों का एक अनुदान जून 1964 में दिया गया था जो नई दिल्ली के केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था को प्रारम्भिक सहायता प्रदान करने के लिये है । इस अनुदान में से 563,000 डालर नई दिल्ली की केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था द्वारा और शेष 683,000 डालर नई दिल्ली की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा शिक्षा संस्था द्वारा इस प्रकार प्रयोग में लाए जाएंगे :

के लिये बंटवार	केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था	रा० स्व० प्र० शि० सं०	कुल
		(डालरों में)	
1. अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श दाता	398,000	5,68,000	966,000
2. अधि छात्रवृत्तियां	35,000	35,000	70,000
3. साज सामान (उपकरण)	100,000	50,000	150,000
4. वास्तुकला सेवाएं	30,000	30,000	60,000
कुल	563,000	683,000	1,246,000

यह अनुदान इन दो केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, किसी राज्य द्वारा नहीं ।

स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद्

1499. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थानीय स्वशासन की राष्ट्रीय परिषद् ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिये जो समिति बनाई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसकी सिफारिशें क्या है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं पर प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने की आशा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

D. D. T.

1500. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade :
Shri Y. S. Chaudhary:

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dr. C. G. Pandit retired Director, Indian Council of Medical Research and now working as Emeritus Scientist at the National Institute of Communicable Diseases, has made an appeal to restrict the extensive use of D. D. T. insecticide ;

(b) whether it is also a fact that he has declared the use of D. D. T. injurious to health ; and

(c) if so, Government's reaction towards restricting the use of this insecticide ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No. Dr. C. G. Pandit did not make any appeal to restrict the extensive use of D. D. T. but what he urged was the need for vigilance as would be clear from the relevant portion of his address to the Twenty-second Bombay Medical Congress held on the 15th November, 1964.

"Many countries in the West have gone through all this experience since the industrial revolution began in the 19th century. We have to be profited by their experience before irrevocable damage is done. Again, large scale use of insecticides, both in agriculture and medicine, will certainly create health hazards, in addition to disturbing the biological equilibrium in the insect world with which we have to live today in close association. Indeed the very limited studies carried out recently by the National Institute of Communicable Diseases in Delhi have demonstrated the presence of recognisable amounts of D. D. T. in human fat. How did it get there ? What is its significance ? How big is the problem ? Obviously much work will have to done before we know the answer.

This is not to say that we should not use insecticides in the manner we are doing today. They are one of the potent means at our disposal for the control of some of our major communicable diseases which constitute an important public health problem facing the country. What I am trying to convey is the need for vigilance, so that we can know the adverse or collateral effects, if any, of our measures, and in time rectify them".

(b) Yes, when used indiscriminately.

(c) Since necessary vigilance is being maintained in India, as in other advanced countries on the situation arising out of the large scale use of insecticides in the different fields, the Government of India do not consider it necessary to restrict the use of D. D. T. The Government is introducing a Bill in Parliament to regulate the sales, storage, transport and use of insecticides in general with a view to removing health hazards arising from them.

Seizure of smuggled goods from Pakistani Boats

1501. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Border Police seized smuggled goods worth thousands of rupees from Pakistani boats at Boperghat village in 24-Parganas (West Bengal) on the 13th November, 1964;

(b) if so, the description of the goods seized ; and

(c) the action taken by Government in this behalf ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b) on 13th November, 1964 the Police staff of Nityanandakathi Border Outpost under Swarupnagar Police Station in 24-Parganas District of West Bengal seized 3 country boats coming from Pakistan side and recovered 545 Kgs. of Camphor, 400 Kgs. of Cloves and 189 Kgs. of Cinnamon. The total value of the goods siezed comes to about Rs. 32,000 excluding the value of the country boats.

(c) The case is under departmental adjudication.

बिहार में कर-अपवंचन

1502. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर-अपवंचन के संबंध में गत छः मास में बिहार के जिन व्यापारी संस्थाओं पर छापे मारे गये उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने मामलों में और किस स्थिति में अपराधारोपक माल मिला है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :

(क) 1. अजित साइकल स्टोरज़, पटना ।

2. भगवानदास जौहरीमल, मुज्जफरपुर ।

3. हीरालाल देवी प्रसाद, मुज्ज़फरपुर ।

4. मैहता केजरीवाल एण्ड कं, मुज्ज़फरपुर ।

5. बावा साइकल स्टोरज़, पटना ।

6. मुस्सदीलाल रामस्वरूप दास, लैहरिया सराय, जिला दरभंगा ।

7. मुस्सदीलाल मोहनलाल, लैहरिया सराय, दरभंगा; और

8. मोहन वस्त्रालय, लैहरिया सराय, दरभंगा ।

(ख) इन छापों के दौरान छीनी गई लेखा पुस्तकों और कागज़ पत्रों की जांच हो रही है। इस समय यह बताना कठिन है कि छापों के फलस्वरूप कितने मामलों में अपराधारोपक माल मिला है।

Prefix British India with Business Houses

+
1503. { **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattanayak :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have received any complaint that the words "British India" have been prefixed to the names of several commercial companies in India such as British India Corporation and British India General Insurance Company, and

(b) If so, the measures being taken by Government to order a change in such names ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No such complaint has been received by Government. Names with the words "British India" have not been allowed to any company since Independence. There are, however, a few companies registered before Independence with the words "British India" as part of their names. Government have no power to compel such existing companies to drop these words from their names.

(b) Does not arise.

निकासितों का पुनर्वास

1504. श्री हेमराज : क्या सिंचाई तथा **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिके, ब्यास लिंक, सतलज़ तथा पंग डेम परियोजनाओं में से निकासितों के पुनर्वास पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसने क्या निर्णय लिया ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच कोई बठक नहीं हुई। परन्तु निदेश समिति की एक बैठक 28-10-1964 को बुलाई गई थी जिसमें केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री और पंजाब तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था और इसमें राजस्थान नहर परियोजना के लिये उपनिवेशन नीति के कुछ पहुंलुओं पर बातचीत की गई थी। और यह तय हुआ था कि इस मामले पर आगे विचार एक और बैठक में किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Mughal Garden, Rashtrapati Bhawan

1505: Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the garden behind Rashtrapati Bhavan, New Delhi is called Mughal Garden even though the Mughals lived centuries before ; and

(b) if so, whether Government propose to change the name of the garden; and if so, when ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The Mughal Gardens are so called because of the style of their lay-out.

(b) No.

अस्पताल

1506. श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सू० ला० वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में दिली में हुए चिकित्सीय शिक्षा सम्मेलन में प्रधान मंत्री के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिक अस्पतालों की बजाय थोड़े परन्तु पूर्णतया सुसज्जित अस्पतालों का होना ज्यादा अच्छा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में सेवा के स्तरों को सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह देखा गया है कि, यद्यपि प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ गई है, फिर भी डाक्टरों और नरसों की कमी है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि अस्पतालों में सुविधाएं इसलिये भी कम हैं कि वहां रोगियों की भीड़ रहती है। वर्तमान अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में सेवा के स्तर को सुधारने पर ज़ोर दिया जा रहा है और राज्य सरकारें उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऐसा करने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मार्ग में मुख्य कठिनाइयां विदेशी मुद्रा और पैसे की कमी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

1507. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों पर भी लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय उपस्थिति) नियम, 1944 के अन्तर्गत प्रशासन के कर्मचारी चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार हैं। जब योजना उन पर लागू कर दी जायेगी तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियम लागू हो जायेंगे।

Tax Evasion in Kotah

1508. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Income-tax Officer in Kotah (Rajasthan) seized duplicate set of books of accounts of a firm by which it evaded taxes ; and

(b) the action now being taken against that firm ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) Books of accounts seized are under scrutiny.

सोने का तस्कर व्यापार

1509. श्री प्र० च० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963 और 1964 में अब तक सोने के तस्कर व्यापार के कितने मामलों का पता लगा है। और स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के लागू होने के समय से सोने के तस्कर व्यापार में कितनी कमी लाई गई है ; और

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सोने का अधिकतम तथा निम्नतम मूल्य क्या था और स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू होने से सोने के भावों पर क्या पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सोने के तस्कर व्यापार के मामलों की संख्या तथा बरामद किये गये सोने की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या	मात्रा किलोग्राम
1962	400	2,638
1963	289	1,024
1964	526	1,730 (*नवम्बर तक)

स्वर्ण नियंत्रण के लागू होने के बाद का समय इतना कम है कि तस्कर व्यापार पर इसके प्रभाव के संबंध में किसी साफ नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता।

इन वर्षों में अधिकतम तथा निम्नतम मूल्य इस प्रकार रहे हैं :—

वर्ष	उच्चतम	निम्नतम
	(24 कैरेट सोने के प्रति 10 ग्राम सोने का रुपयों में मूल्य)	
1962	129.90	86.00
1963	118.00	95.00
1964	124.71	102.86

स्वर्ण नियंत्रण लागू के होने के बाद मूल्य गिरने शुरू हो गये थे परन्तु मार्च–जून 1963 में मूल्यों में वृद्धि हुई थी। उसके बाद भाव उतरते चढ़ते रहे हैं परन्तु स्वर्ण नियंत्रण के लागू होने से पहले की अपेक्षा मूल्यों का स्तर नीचा रहा हैं।

जल तथा मल-व्यवस्था की आवश्यकताएं

1510. **श्री रा० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों की जल तथा मल-व्यवस्था को पूरा करने के लिये क्या सुधार करने का विचार है ; और

(ख) इस विषय पर तेजी से काम करने के लिये राज्यों तथा केन्द्र के बीच क्या कोई प्रभावशाली उद्देश्यपूर्ण समन्वय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जल संभरण तथा मल-व्यवस्था योजनाओं की प्रगति को तीव्र करने के प्रश्न पर इस मंत्रालय द्वारा दिल्ली में गत अप्रल में जल तथा मल-व्यवस्था कार्यों के वित्तपोषण तथा प्रबन्ध पर बुलाई गोष्ठी द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था। गोष्ठी ने जल संभरण तथा मल व्यवस्था कार्यों के वित्तपोषण और प्रबन्ध के संबंध में अनेक सिफारिशें दी हैं और प्रत्येक राज्य में नगर-पालिका जल तथा जल निस्सारण सेवाओं को अच्छे ढंग से चलाने और उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये संविहित जल तथा जल निस्सारण बोर्डों को बनाने का सुझाव दिया है। भविष्य के कार्य-क्रमों को करने के लिये आवश्यक पूंजी इकट्ठी करने के लिये उपलब्ध कई वैकल्पिक तरीकों पर भी गोष्ठी ने विचार किया है और इस बारे में अनेक सिफारिशें दी हैं। सिफारिशें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं जिन्हें कि गोष्ठि के प्रतिवेदन की प्रतियां भेजी गई हैं।

दिल्ली में प्लाटों की बिक्री

1511. **श्री रा० गि० दूबे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1961 में दिल्ली सुधार प्रन्यास (अब दिल्ली विकास प्राधिकार) ने शक्ति नगर, दिल्ली के उन प्लाटों की बिक्री के लिये टेंडर मांगे थे जो अनधिकृत झुग्गी वालों के कब्जे में थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लाटों का आवंटन कर दिया गया था परन्तु जिनके नाम में प्लाटों का आवंटन किया गया है उनको प्लाटों का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है, यद्यपि पूर्ण राशि देने के लिये तैयार हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने रिहायशी तथा दुकान-एवं-रिहायशी इमारतों के निर्माण के लिये शश्वत पट्टा धारण के आधार पर शक्तिनगर (रोशनारा विस्तार योजना) के सात प्लाटों की बिक्री के लिये टेंडर मांगे थे। इसके बाद, इन सात प्लाटों में से 3 प्लाट टेंडरों की प्राप्ति से पूर्व बिक्री से वापस ले लिया गया था। इसलिये, केवल 4 प्लाट रह गये थे और उनके लिये टेंडर 20 जनवरी, 1961 को प्राप्त हुए थे। इन में से एक प्लाट पर कुछ उप-वेशियों का अनधिकृत कब्ज़ा था।

(ख) और (ग) तीन प्लाटों के मामले में आवंटन को अनुमोदित कर लिया गया था। बाद में एक प्लाट को सौदा प्राधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि टेंडर देने वाले ने किश्त की बकाया राशि निर्धारित समय के भीतर नहीं दी। दूसरे प्लाट का सौदा टेंडर देने वाले के कहने पर रद्द कर दिया गया था। चूंकि इन दो प्लाटों का सौदा रद्द कर दिया गया है, इसलिये टेंडर देने वालों को उनका कब्ज़ा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक तीसरे प्लाट का संबंध है टेंडर देने वालों से 9 मई, 1961 को किश्त आदि की बकाया राशि देने के लिये कहा गया था, परन्तु जब तक अनधिकृत रूप से कब्ज़ा करने वालों को निकाल नहीं दिया गया उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। हां, इस बीच उन्होंने किश्त आदि की

बकाया राशि जमा कराने की इच्छा प्रकट की है और प्रार्थना भी की है कि प्लाट के संबंध में पट्टे के लिये एक करार टेंडर देने वालों में से एक व्यक्ति के नाम में तैयार कर लिया जाये न कि उनके सबके नामों में। इस संबंध में उन्होंने 9 जुलाई, 1964 को एक करार भेजा जो कि उनके बीच 5 नवम्बर, 1963 को किया गया था जिसके द्वारा एक टेंडर देने वालों में से एक व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे को देने के लिये राज़ी हो गया था अब यह बात प्राधिकार के विचाराधीन है कि टेंडर देने वालों में से केवल एक के नाम में पट्टे तैयार करने की टेंडर देने वालों की प्रार्थना स्वीकार किया जाये अथवा नहीं।

ज्यों ही प्राधिकार टेंडर देने वालों की उक्त प्रार्थना पर निर्णय कर लेगा उनको प्लाटों का कब्ज़ा देने तथा किश्त आदि की बकाया राशि के भुगतान के लिये उनको कहने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

प्लाट से उपवेशियों को निकालने के लिये सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्ज़ा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ कर दी गई।

बचत आंदोलन

1512. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई नई योजना बचत संचालन बोर्ड के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। बोर्ड अभी हाल ही में बनाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में विदेशी शराब

1513. { **श्री सोलंकी :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से विदेशी शराब की बिक्री के परिणामस्वरूप कुल कितना राजस्व प्राप्त होता है ; और

(ख) क्या विदेशी शराब के विक्रय मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता है और यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 1963-64.　　　　90,39,245 रु०

(ख) जी नहीं।

Tibbia College, Delhi

1514. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal to set up Post-Graduate Research Institute in the Tibbia College, Delhi ;

(b) if so, by when ;

(c) the expenditure proposed to be incurred thereon ;

(d) whether any Committee has been appointed by Government for that purpose ; and

(e) if so, its composition ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) The proposal is under discussion with the Delhi Administration and the Ayurvedic & Unani Tibbia College Board, Delhi.

(c) Not yet determined.

(d) No.

(e) Does not arise.

अतिरुधिर तनाव

1515. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1964 के "दी फ्रंट" साप्ताहिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अतिरुधिर तनाव के रोग का संबंध अधिक नमक के इस्तेमाल से है;

(ख) क्या भारत के चिकित्सीय विशेषज्ञों ने उन हरी सब्ज़ियों का विश्लेषण किया है जिनमें नमक की अधिक मात्रा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो उन सब्ज़ियों के क्या नाम हैं और उनके विश्लेषण का क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां

1516. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास चिट फंड अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम जो अभी पंजीकृत नहीं हुई या उनके पंजीकरण की आशा नहीं है ;

(ग) क्या किसी कम्पनी ने दिल्ली प्रशासन को अपना लेखा पेश नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा 9 दिसम्बर, 1964 तक प्रस्तुत किये गये 168 उपनियम पंजीकृत किये गये हैं :—

1. स्मार्टस (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. प्रामिनेंट (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. डीलक्स फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. माहरबन फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।

5. ऐवरलास्ट (प्रा०), लिमिटेड, दिल्ली।
6. ऐवरसयूंड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
7. यंगमैन बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
8. एमरजैन्सी फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
9. गांधी नगर चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, कैलाश नगर, दिल्ली-शहादरा।
10. सिस्टमज़ फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
11. एम० एन० फाइनेंस को० (चिट फंड प्रा० लिमिटेड), नई दिल्ली।
12. लाइको चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
13. बालुसरी बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
14. ऐफिशैन्ट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
15. कैपिटल चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
16. प्रिंस चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
17. पर्ल चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
18. ग्रेजुयेट ट्रेडर्ज़ फाइनेंसियरज़ एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
19. पी० एस० ई० फाइनेंस चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
20. सरिता बैनिफिट चिट फंड एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
21. उपकारी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
22. गुजरांवाला ट्रेडिंग फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
23. मनचार चिट फंड एण्ड फाइनेंसियरज़ (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
24. नवरतन चिट फंड एण्ड फाइनेंस क० (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
25. कपूर चिट फंड एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
26. सिलवान स्टार इनवेस्टमेंट क० (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
27. राकिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
28. इन्टर्नेशनल बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
29. जनता फेयर डीलर्ज़, (दिल्ली) (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
30. ऐक्सेलयियर फाइनेंसियरज़ एण्ड ट्रेडर्ज़ चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
31. विशाल चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
32. वैल्थवेज़ चिट फंड एण्ड फाइनेंसियरज़ क० (प्रा०) लिमिटेड।
33. ग्लोब बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
34. नव हिंद चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
35. अमरजोती फाइनेंसियरज़ क० (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
36. मीरा फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
37. ग्लोबल चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
38. इन्ट्रा फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
39. सरताज चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
40. ओंकार चिट फंड एण्ड फाइनेंसियरज़ (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।

41. गोगी चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
42. स्वस्तिक बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
43. शेरे-पंजाब चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
44. हितैशी बैनिफिट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
45. ऐवरशाईन चिट फंड एण्ड फाइनेंस क० (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
46. अगरवाल इनस्टालमैंट एण्ड चिट फंड क० (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
47. कारून चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
48. मिलियनटेक्स फाइनेंस क० (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
49. अजाक्स फाइनेंस एण्ड चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
50. बेदी चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा उप-नियमों के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। अब यह बताना कठिन है कि कितने उप-नियम पंजीकृत किये जायेंगे या सम्बन्धित कम्पनियों के नाम।

1. मोटर ट्रेडर्ज़ बैनिफिट चिट फंड एण्ड फाइनेंसियरज़ (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
2. सनलाईट चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. फ्रेंड्स चिट फंड बैनिफिट (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
4. राक्सी चिट फंड्ज़ एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
5. कलेक्टिव इनवेस्टमैंट एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
6. रोबट फाइनेंस चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
7. बैंक ऐम्पलाईज़ बैनिफिट चिट फंड एण्ड फाइनेंस (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
8. चक्रवर्ती फाइनेंस एण्ड चिट फंड क० (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली।
9. अमृत चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
10. जीवन-विकास चिट फंड एण्ड फर्म (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
11. बग्गा चिट फंड (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
12. सुमन फाइनेंस एण्ड चिट फंड क० (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ग) शायद निर्देशन वार्षिक संतुलन विवरण की ओर है जिसको, मद्रास चिट फंड अधिनियम, 1961 जैसा दिल्ली में लागू हुआ है की धारा 16 के अन्तर्गत चिटों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि संतुलन विवरण अभी देय नहीं है, अत: कम्पनियों ने उनको देने में कोई चूक नहीं की।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

योग संस्थायें

1517. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि योग अनुसन्धान परामर्श समिति ने 1963-64 में तीन योग संस्थाओं को, जिनमें से दो बम्बई में हैं और एक दिल्ली में, अनुदान देने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बम्बई की योग संस्थाओं को अनुदान दिये गये थे जब कि योग प्रसार समिति नई दिल्ली को 1963-64 में कोई अनुदान नहीं दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस विभेद का कारण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) योग अनुसन्धान परामर्श समिति ने साइकोसिमैन्टिक रूप की कुछ बिमारियों के लिये निम्नलिखित संस्थाओं में योग चिकित्सा के विकास की सिफारिश की है :—

1. आई० सी० वाई० स्वास्थ्य केन्द्र, काइयावाल्याधामा, बम्बई ।
2. योग संस्था, सांटा क्रूज़, बम्बई ।
3. योग प्रसार समिति, मंदिर लेन, नई दिल्ली ।

(ख) योग अनुसंधान परामर्श समिति ने वैज्ञानिक विकास के लिये बम्बई में चिकित्सा महाविद्यालय और दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध सुविधाओं को प्रयोग में लाने का सुझाव दिया है । समिति ने यह निश्चय किया है कि तीनों संस्थाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाय । अनुसंधान करने के लिये इन संस्थाओं की आवश्यकताओं की जांच की जा रही है । अतः योग परामर्श समिति ने जिस अनुदान की सिफारिश की थी, वह अभी नहीं दिया जा रहा है । काइवाल्याधामा एस० एम० वाई० एम० समिति, लोनावाला को नेसोग्राफी में अनुसंधान करने के लिये और ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा की योग चिकित्सा के लिये 37,000 रुपये का अनुदान दिया गया है और योग संस्था सांटा क्रूज़, बम्बई को क्लीनिकल और पैथौलोजिकल प्रयोगशाला के लिये उपकरण खरीदने के लिये 13,500 रुपये दिये गये हैं । यह अनुदान योग अनुसंधान समिति की सिफारिश पर नहीं दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनादृत चैक में जांच

1518. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री 10 सितम्बर, 1964 को कलकत्ता में एक व्यक्ति के एक लाख रुपये से अधिक अनादृत चैक में आय-कर अधिकारियों द्वारा जांच के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय को छिपाने के लिये दंड कार्यवाही समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका नतीजा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PULBIC IMPORTANCE

(i) दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह के पता लगाये जाने का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : मैं दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगाये जाने और गोपनीय सैनिक कागज़ात के साथ सात व्यक्तियों की गिरफतारी के समाचार की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : समाचार पत्रों में जिसे देश में फैल हुए एक जासूसों के दल का सक्रिय होना बताया गया है उस पर सदस्यों की चिंता को मैं समझ रहा हूं । जांच की वर्त्तमान अवस्था में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सात व्यक्तियों को राजकीय रहस्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गिरफ्तार किया गया है क्योंकि यह विश्वास करने के उचित कारण थे कि उन्होंने दिल्ली में एक राजनयिक दूत मंडल के एक अधिकारी को गुप्त मामलों सम्बन्धी सूचना दी थी । सभी उपलब्ध सुराग़ों और सामग्री की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि मामले के सभी सूत्रों का पता लगाया जा सके । जनहित की दृष्टि से जिसमें इस मामले की उचित प्रकार से जांच भी शामिल है यह ज़रूरी है कि अभी और कोई जानकारी न बताई जाये । इस लिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझ पर और विस्तृत विवरण देने के लिये ज़ोर न डालें ।

यह एक गम्भीर और नाजुक मामला है और मैं इसकी उलझनों को कम करके आंकना नहीं चाहता । साथ ही मैं यह चाहता हूं कि सदन् इस बात को कि यह मामला पकड़ा गया इस का प्रमाण समझे कि राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बद्ध मामलों पर लगातार और कष्ट उठा कर सतर्कता रखी जाती हैं । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह सतर्कता लगातार रक्खी जाती रहेगी ।

ज़बर्दस्त जांच के अलावा जो अभी चल रही है उपयुक्त राजनयिक कार्यवाही भी की गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सूचना विभाग द्वारा 15 दिसम्बर 1964 की इस प्रैस विज्ञप्ति की ओर गया है जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनका इस जासूसी के काम से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान मैं ने उसे देखा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नन्दा : मैं ने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं जान सकता हूं कि इस बात को जानते हुये कि इस देश में जासूसों का गिरोह काम कर रहा है सरकार इस बारे में क्या विशेष कार्यवाही कर रही है कि यह जांच यथासम्भव ठीक तरीके से हो और इस गिरोह का शीघ्रातिशीघ्र पता लगे ?

श्री नन्दा : इस बारे में यथासम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether these seven accused have some connection whith those persons who were arrested while revealing secrets sometime back ?

Shri Nanda : We shall look into everything.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या गुप्तवार्ता विभाग (इंटेलीजेंसब्यूरो) ने सरकार को यह बताया है कि यह जासूस भारत स्थित चीन के राजदूतावास और कुछ अन्य देशों के मिशनों जो कि भारत से ज्यादा चीन से मित्रता रखते हैं, के सहयोग से कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि उनके विरूद्ध राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यवाही क्यों की जा रही है और उनपर इस देश के प्रति विद्रोह करने के लिये अभियोग क्यों नहीं चलाया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि अभी जांच हो रही है इसलिये मंत्री महोदय इस समय कोई उत्तर नहीं देना चाहते ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इस से पहले जब विमान दल का एक अधिकारी पकड़ा गया था तो सभा ने यह कहा था कि ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। क्या इस बार इन देश द्रोहियों को कड़ी सज़ा दी जायेगी ?

श्री नन्दा : इस बारे में कोई दया या उदारता नहीं दिखाई जायेगी।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड आदि में पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं सरकार ऐसे भारतवासियों पर जो इस बुरे कार्य में लगे हुये हैं अभियोग क्यों नहीं चलाती और यदि आवश्यक हो तो उन्हें फांसी क्यों नहीं दी जाती ?

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे और विस्तृत विवरण दिये जाने पर ज़ोर न डालें। यहा हम दिल्ली में जासूसों के एक गिरोह का पता लगाये जाने के बारे में चर्चा कर रहे है और माननीय सदस्य जम्मू तथा काश्मीर और नागालैण्ड से भी इस प्रश्न का सम्बन्ध जोड़ रहे हैं। क्या यह उनके लिये उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अनुरोध का सम्बध है यह तो माननीय सदस्यों के लिये है कि वे इस पर अमल करें या न करें। मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

Shri Jagdev Singh Sidhanti (Jhajjar): Is the Government aware that some distinguished Indian citizens are in league with these spies ? If this is proved, will these people be awarded deterrent punishment ?

Mr. Speaker : This question has been answered.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : May I know since how long these spies are carrying on their espionage work in Delhi and whether some Delhi citizens are in league with them ?

Mr. Speaker : This will be known after the completion of the enquiry.

(2) दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम दिल्ली दुग्ध योजना से सम्बन्धि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे। कृषि तथा खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य दें।

कृषि तथा खाद्य मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मुझे खेद है कि जब कल इस बारे में सभा में चर्चा उठाई गई थी में उपस्थित नहीं था।

जून में जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला था तो दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यों की छानबीन की थी और मैं ने यह विचार किया था कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस की पूरी जांच कराई जाय। आनन्द के श्री कुरीन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने बहुत सी शिफारिशें कीं जिनमें ये दो सिफारिशें मुख्य हैं। एक तो यह कि दिल्ली दुग्ध योजना को समवाय के रूप में परिणित कर दिया जाये और दूसरी सिफारिश इस योजना को ठेके की पद्धति पर दूध खरीदने से हो रही कठिनाइयों के बारे में थी। पहली सिफारिश के आधार पर ही हम दिल्ली दुग्ध योजना को एक सीमित कम्पनी के रूप में परिणित करने के बारे में विचार कर रहेहैं। अगस्त में मैं वहां गया था और उन से इस बारे में कहा था जिसपर कर्मचारियों ने यह डर व्यक्त किया कि इस परिवर्तन से उनकी सेवा की शर्तों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि इस परिवर्तन से उनकी सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और मेरा विचार था

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम्]

कि इस आश्वासन से वे सन्तुष्ट हो गये होंगे। पिछले महीने इन कर्मचारियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन किया। इस महीने वे मुझ से इस सम्बन्ध में फिर मिले और में ने उन्हें फिर आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों विशेषाधिकारों और सेवा की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने फिर इस बात पर ज़ोर दिया की इस योजना को कृषि मंत्रालय के विभाग के रूप में ही चलने दिया जाये। मैं ने इस पर यह उत्तर दिया कि सरकार को तो जन समुदाय के हित की बात करनी है और जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है उन्हें केवल अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के बारे में ही सोचना चाहिये। उन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी देना चाहा परन्तु में ने उसे दो कारणों से स्वीकार नहीं किया। एक तो यह कि वह बहुत ही अशिष्ट भाषा में लिखा गया था और दूसरे यह कि उन्होंने यह मांग की थी कि इस योजना को सीमित समवाय में परिणित न किया जाये। में ने उनसे यह कहा कि वे मुझे ऐसा ज्ञापन दें जिसमें जिन अधिकारों और विशेषाधिकारों का वे संरक्षण चाहते हैं वे लिखे गये हों।

मेरा विचार था कि मेरे आश्वासन पर उन्हें विश्वास हो गया होगा। परन्तु आधी रात के करीब मुझे टेलीफोन पर बताया गया कि दिल्ली दुग्ध योजना में हड़ताल हो गई है। में शीघ्र ही दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष तथा श्री के० एन० पाण्डे संसद सदस्य, जो कि इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष हैं से बातचीत की। उन से बात करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि कर्मचारी लिखित रूप में यह आश्वासन चाहते हैं कि सीमित समवाय बनने से उनकी सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उनकी यह मांग पूरी कर दी गई और इसके पश्चात् हड़ताल समाप्त हो गई।

अब सभा के सामने प्रश्न यह है कि अत्यावश्यक पदार्थों के सम्भरण से सम्बन्धित इन योजनाओं में चाहे कितनी भी उत्तेजना क्यों न हो हड़ताल की जानी चाहिये अथवा नहीं। कितनी भी कठिनाईयां क्यों न हों उनके निवारण के दूसरे साधन भी हो सकते हैं। ऐसी योजना में हड़ताल होने से तो कितने ही बच्चों को दूध न मिलने के कारण असुविधा होती है। चौथी बार उन्होंने हड़ताल की है और इस बारे में कुछ उपाय किये जाने चाहिये ताकि वे फिर ऐसा कदम न उठायें।

इस हड़ताल के बारे में मुझे यही कुछ निवेदन करना है। जहां तक इस योजना को सीमित समवाय में परिणित करने का सम्बन्ध है यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमें कुछ कर्मचारियों के हित को देखना है अथवा जनता के। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारा यह प्रयत्न होगा कि उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े परन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार के निर्णय करते समय हमें सब से पहले जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : क्या इस योजना को सीमित समवाय का रूप देने के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है? यदि हां तो क्या सरकार इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भी बोर्ड का सदस्य बनायेगी।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस पर विचार हो रहा है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : At present the Delhi citizens are getting stale and sour milk. May I know whether fresh milk will be supplied after the conversion of this scheme into a limited company ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम यह प्रयास करगे कि दूध की किसम यथासम्भव अच्छी हो। परन्तु इसके लिये कर्मचारियों का सहयोग भी आवश्यक है।

श्री नम्बियार : जब जनपथ होटल को सीमित समवाय में परिणित किया गया था तो कर्मचारियों को अपनी स्थायी नौकरियां तक छोड़नी पड़ीं थीं। क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि अब इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है कि उन्ह ऐसी कोई हानि नहीं होगी।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : आज के समाचार पत्रों में यह छपा है कि श्रमिक संघ के लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उनके वर्तमान विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जायेगा। परन्तु इस योजना के कर्मचारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं जान सकता हूं कि इन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन दोनो में कुछ भी अन्तर नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रशुल्क आयोग के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) टिटेनियम डाइओक्साइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964)

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 4(1)—टार/64।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक प्रलेख की प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी, इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या (एल० टी० 3640/64)]

(2) (एक) कैलशियम कारबाइड उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964)।

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 12 (1)— टार/64।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक प्रलेख की प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी, इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3641/64]

(3) (एक) सोडा ऐश उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964)।

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 10(3)—टार/64।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक प्रलेख की प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3642/64]

(4) (एक) कास्टिक सोडा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964) ।

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 10(2)–टार/64।

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रत्येक प्रलेख की प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी, इसके कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3643/64]

(5) (एक) एल्यूमिनियम उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964) ।

(दो) दिनांक 9 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 1(1)–टार/64।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3644/64]

(6) (एक) डाईस्टफ उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1964)।

(दो) दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 का सरकारी संकल्प संख्या 14(1)–टार/64।

(तीन) नेफटोल ग्रुप्स के कपलिंग डाइज पर सीमा शुल्क लगाने वाली दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की सरकारी अधिसूचना संख्या 14(1)–टार/64।

(चार) कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने वाली दिनांक 14 दिसम्बर, 1964 की सरकारी अधिसूचना संख्या 14(1)–टार/64।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3645/64)]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में आगे कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1704।

(दो) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1705।

(तीन) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1706।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 3646/64)]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1707।

(दो) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1708 में प्रकाशित सीमा शुल्क बाण्डों के अन्तर्गत निर्माण (सामान्य) संशोधन नियम, 1964।

(तीन) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1709।

(चार) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1710।

(पांच) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1711।

(छ) दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1736।

(सात) दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1737।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3647/64)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त इन सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1964 को पारित किये गये खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, 1964 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य-सभा अपनी 15 दिसम्बर, 1964 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1964 को पारित किये गये करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) विधेयक, 1964 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

बैंकिग विधियां (सहकारी संस्थाओं पर लागू करना) विधेयक

BANKING LAWS (APPLICATION TO CO-OPERATIVE SOCIETIES) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ सहकारी संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिये भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग समवाय अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ सहकारी संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिये भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग समवाय अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) 1964-65

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1964-65

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 1964–65 के रेलवे बजट सम्बन्धी अनुदान की अनुपूरक मांग पर अग्रेतर चर्चा और मतदान करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : रेल मंत्रालय में बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। यह आश्चर्य की बात है कि एक प्रशिक्षण केन्द्र को सिआलदह से हटा कर धनबाद लाया जा रहा है हालांकि वहां उसके लिय काफी स्थान है। लोक लेखा समिति ने भी इस की जांच की थी और उनका भी यही मत है कि यह फिजूल खर्ची है। मुझे बताया गया है कि इस के लिये धनबाद में 40 लाख रुपये व्यय करके भवन तैयार किया गया है और उस पर लगभग 35 लाख रुपये व्यय होंगे। लोक लेखा समिति ने इसकी जांच की है और अब भवन-निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह इस बारे में जांच करें। इस प्रशिक्षण केन्द्र का सिआलदह में ही विस्तार किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बहुत से विद्यार्थियों और कर्मचारियों को असुविधा होगी।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : यदि इस महान देश के विकास कार्य में किसी सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का भी विकास हो तो उस सदस्य को बहुत प्रसन्नता होती है। भद्राचलम का अपना महत्व है। यहां एक प्रसिद्ध मन्दिर है। इस रेलवे लाइन के बनने से यहां के लोगों को बहुत लाभ होगा। कुछ दिन पहले हम आदिमजाति क्षेत्रों के विकास की चर्चा कर रहें थे इस. क्षेत्रों में संचार के साधनों का विकास करना बहुत आवश्यक है। इस रेलवे लाइन के बन जाने से बहुत से आदिमजाति क्षेत्रों को लाभ होगा। कोठागुडम में पर्याप्त खनिज संसाधन हैं और यदि कोठागुडम को रेल द्वारा बैलाडिला से मिला दिया जायगा तो यहां उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र ही इस बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय को रेलवे कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस में आये दिन परिवर्तन होते रहते हैं और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कठिनाइयां होती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में कर्मचारियों की तरक्की के लिये भिन्न भिन्न नियम हैं। सारे भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में एक ही नियम होना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि महाप्रबन्धक के सम्मेलन में इस बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अपने नियम नहीं होने चाहिये बल्कि केन्द्र द्वारा ही इस बारे में नियम बनाये जाने चाहिय। इस बारे में कोई आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमन्, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं हालांकि भद्राचलम मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हज़ारों मील दूर है। मैं वित्त मंत्रालय और पुनर्वास मंत्रालय से यह पूछना चाहता हूं कि आज तक इन क्षेत्रों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस क्षेत्र में कोयला और लोह-अयस्क भारी मात्रा में पाया जाता है। यहां पर इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया जा सकता है। योजना आयोग इस बारे में क्या कर रहा है? लोक-लेखा समिति ने कहा है कि अनुपूरक मांगें सभा में नहीं लाई जानी चाहिये। जहांतक हमारी आर्थिक नीति के सम्बन्ध है कम से कम अनुपूरक मांगें सभा में लाई जानी चाहियें मुझे यही भी कहना है कि आप कई क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कर रहे हैं। परन्तु आपने पठानकोट से जम्मू या उधमपुर तक अभी तक भी रेलवे लाइन नहीं बनाई है हालांकि सामरिक दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेलवे लाइन के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पाकिस्तान आये दिन सीमातिक्रमण करता रहता है और इस से हमारे देश को खतरा रहता है। उनसे बचाव के लिये हमें उपाय करने चाहिये।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Speaker, I would like to touch some points regarding my constituency. We have asked for a halt-station between Vamatpur and Khalispur. This matter is pending for the last twelve years. We also want that there should also be a regular halt-station between

Chaukhandi and Lota. Only one passenger train stops at this station at pressent. Nearly four passenger trains touch this point and all of them should stop there.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर पूरा पूरा विचार किया जायेगा और इन के बारे में यथासम्भव कार्यवाही की जायेगी। जिन माननीय सदस्यों ने नई लाइनों के सर्वेक्षण आदि की मांग की है में उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय की आर्थिक क्षमता भी सीमित ही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे मंत्रालय को जितनी धनराशि दी जायेगी उसी पर इन सुझावों को कार्यान्वित करना निर्भर करता है। गोदावरी नदी पर भद्राचलम के निकट पुल बनाने के सम्बन्ध में भी इस सर्वेक्षण में उपबन्ध किया जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मांग की गई है यह कोई अतिरिक्त राशि के लिये नहीं है। यह मांग इस लिये की गई है इस सर्वेक्षण के लिये एक लाख रुपया खर्च आयेगा और यह राशि सभा द्वारा मंजूर की जानी चाहिये। यह सर्वेक्षण शीघ्र करने की इसलिये आवश्यकता पड़ी है कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये बहुत संसाधन हैं और रेल लाइन बन जाने से यहां उद्योग स्थापित हो सकते हैं। श्री शिवमूर्ति स्वामी ने अपने क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के लिये कहा था। मैं उनकी सूचना के लिये कह दूं कि हास्पेट से मार्मगोआ की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में सर्वेक्षण किया जायेगा। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इन अनुपूरक मांगों को स्वीकृत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों को निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विविध रेलवे व्यय	10,000

नये आयुध कारखानें स्थापित के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : STATEMENT ON ESTABLISHMENT OF NEW ORDNANCE FACTORIES

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री रंगा द्वारा कल प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि यह सभा नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा 20 नवम्बर 1964 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

श्री श्यामलाल सर्राफ (नाम निर्देशित–जम्मू तथा काश्मीर) : अध्यक्ष महोदय, चर्चाधीन विषय पर माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। पूर्ववक्ताओं के विचारों को सुनकर

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

ऐसा लगता है कि आयुध कारखाने स्थापित करने के बारे में कुछ बातें महत्व की हैं। पहली बात यह है कि वे कहां पर स्थापित की जायें। दूसरा यह कि छः कारखानों में केवल चार कारखाने ही स्थापित क्यों किये जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य ने कहा है कि ये कारखाने एक ही राज्य में क्यों स्थापित किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आयुध कारखाने स्थापित करने के मामले में सब से अधिक महत्व की बात यह है कि शत्रु से बचने के लिये कारखाने किस क्षेत्र में स्थापित करना सुरक्षित होगा। कच्चे माल विद्युत शक्ति आदि की उपलब्धता भी आवश्यक हैं किन्तु उतनी जितना कि सुरक्षा की दृष्टि से स्थान का चुनाव अतः माननीय सदस्यों को भिन्न स्थानों में कारखानों को बनाने की बात नहीं उठानी चाहिए और इस बात पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि अधिकांश कारखाने विशिष्ट राज्य में स्थापित किये जा रहे हैं। हमें देश का हित सब से ऊपर रखना चाहिए। राष्ट्रीय हित के मार्ग में क्षेत्रीय हित बाधक नहीं होना चाहिए।

यह विचारणीय बात है कि प्रस्तावित दो आयुध कारखाने स्थापित क्यों नहीं किये जा रहे हैं। अतः मंत्री महोदय को उन कारखानों के बारे में इस प्रकार निर्णय किये जाने के पूरे कारण बताने चाहिए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : आज प्रस्तावित दो कारखानों को स्थापित न करने का निर्णय एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बताये गये कारण बिल्कुल संतोषजनक नहीं हैं। देश की सुरक्षा का प्रश्न सब से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसे सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार ने इन कारखानों को स्थापित करने के मामले में विदेशी मुद्रा के लिये उचित ढंग से प्राथमिकता निर्धारित नहीं की है। आयुध कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध न कर सकना इस बात का द्योतक है कि सरकार सुरक्षा के प्रश्न को अधिक महत्व वाला नहीं समझती है।

हमारे देश के लिये विदेशों के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अतः हमें किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सदा पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सरकार को इस बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यह आश्वासन देना चाहिए कि वह देश के सामने आने वाले प्रत्येक खतरे का डट कर मुकाबला करने के लिये पूरी तरह तैयार है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि श्री रंगा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : 20 नवम्बर को मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। चूंकि पिछले वर्ष प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि छः आयुध कारखाने स्थापित किये जायेंगे और मैंने भी बजट अधिवेशन के आरंभ में इन कारखानों को स्थापित करने का आश्वासन दिया था। अतः यदि सरकार अपने निर्णय में कोई परिवर्तन करती है तो उसके बारे में जानकारी देना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर 20 नवम्बर को वक्तव्य दिया था।

मै सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित छः आयुध कारखानों में से दो कारखानों को स्थापित न करने का निर्णय सभी पहलुओं पर विचार करके इसके परिणामों को देखते हुए बहुत सोच समझ कर किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह निर्णय करने में बहुत बुद्धि से काम लिया है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कि बूरला तथा पनवेल में कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव के स्थान पर विस्फोट तथा गोली दागने वाली तोपों (प्रोपैलन्ट) के वर्तमान स्टाक को काफी बढ़ाया जा रहा है ताकि हमने जो मूल योजना बनाई थी उसके सम्बन्ध

में कोई कमी न रहने पाये। हम ने इस मामले में विदेशी विशेषज्ञों से भी सलाह ली है। इस के साथ साथ हमें देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर भी कार्य करना है। अत: मैं स्पष्ट-रूप से कहता हूं कि हम इन दो कारखानों को स्थापित न करके अपनी सुरक्षा सम्बन्धी तैयारी करने के कर्तव्य से किसी प्रकार विमुख नहीं हुए हैं।

यह विचारणीय बात है कि इन दो कारखानों पर 6 करोड़ रुपये लगेंगे जिनमें 21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। मैं समझता हूं कि देश की हथियारों तथा गोला बारूद के निर्धारित उत्पादन को यदि वर्तमान कारखानों की क्षमता को बढ़ा कर पूरा किया जा सकता है तो इन कारखानों को स्थापित न करना हानि कारक नहीं होगा। सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखकर इन कारखानों को बनाने का विचार छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि विस्फोटकों तथा प्रापेलैटों के देशीय उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के बजाय भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका उत्पादन करे। हम एक अन्य कारखाने में विशेषरूप से विस्फोटकों तथा प्रापेलैंटों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार कर रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

यद्यपि हम प्रतिरक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं किन्तु देश के आर्थिक विकास का ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। हमें प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में सहायता देने वाले देशों ने भी इसी पहलू पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि देश का आर्थिक विकास पिछड़ गया तो इसका प्रतिरक्षा संबन्धी तैयारियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अत: हमने यह उचित समझा कि 60 करोड़ रुपये की इस भारी राशि को आयुध कारखानों की स्थापना पर लगाने की बजाय अन्य किसी दूसरे उत्पादन कार्यों पर लगाया जाये। इसका महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि हम जिन उद्देश्यों के लिए इन दो कारखानों को स्थापित करना चाहते थे वे वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर पूरे किये जा सकते हैं।

कोई भी देश विशेष रूपसे भारत जैसा विकासोन्मुख देश अनिश्चित काल तक के लिये युद्ध के लिये योजना नहीं बना सकता। अनिश्चित काल तक के लिये युद्ध सम्बन्धी तैयारियों पर तभी अत्याधिक धन व्यय किया जा सकता है जब कि युद्ध लम्बे समय तक चलता रहे। कोई भी समझदार राष्ट्र अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उस देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिय करता है। इसी नीति को ध्यान में रखते हुए हमने इन कारखानों को बनाने का विचार छोड़ दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि प्रस्तावित चार आयुध कारखानों को स्थापित करने में बहुत विलम्ब किया जा रहा है। मैं सभा की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह विलम्ब जानबूझकर नहीं अपितु अपरिहार्य कारणों से हो रहा है। अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों में भी, जिनको नये कारखाने स्थापित करने के मामले में गत द्वितीय महायुद्ध के दौरान काफी अनुभव प्राप्त हुआ है, नया कारखाना स्थापित करने में तीन-चार वर्ष का समय लग जाता है। अत: इस बात को देखते हुए भारत जैसे देश के लिए इन कारखानों को स्थापित करने में दो वर्ष का समय लेना कोई असाधारण बात नहीं है।

जहां तक इन चार कारखानों को स्थापित करने में हुई प्रगति का सम्बन्ध है, वरन् गांव में आयुध कारखाना स्थापित किया जा चुका है। इसमें 7.62 छोटे हथियारों के पुर्जे बनाने का काम आरम्भ हो गया है। आशा है 1965 तक इस कारखाने में पूरी क्षमता से काम होने लगेगा। यह हमारे लिये सौभाग्य की बात थी कि इस कारखाने को स्थापित करने के लिये अमरीका से उपकरण बड़ी आसानी से मिल गए और कारखाना बिना किसी विदेशी सहायता के स्थापित हो गया।

[श्री अ० म० थामस]

जहां तक अम्बाझरी में कारखाना स्थापित करने का सम्बन्ध है प्रतिरक्षा मंत्री सभा को पहले बता चुके हैं कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल इस सिलसिले में बातचीत करने अमरीका गया था । इस कारखाने के बारे में अमरीकी वाणिज्य दूतावास ने बताया है कि वे इसका इंजीनियरीं सम्बन्धी अध्ययन करेंगे । सरकार यह अध्ययन शीघ्र ही पूरा कराने का भरसक प्रयत्न कर रही है । इंजीनियरी अध्ययन का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सभी प्रकार के असनिक कार्य पूरे हो जायेंगे । इस मामले में बड़ी तेजी से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अपेक्षित धनराशि मंजूर की की जा रही है ।

ब्रिटन की सहायता से चांदा नामक तीसरा आयुध कारखाना स्थापित किया जा रहा है । इस कारखाने के लिये सभी आवश्यक संयंत्र तथा उपकरणों के लिए राशि मंजूर की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त असैनिक कार्यों के लिए भी 3.21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और काम तेजी से चल रहा है ।

तिरुचिरापल्ली में स्थापित किये जाने वाले चौथे आयुध कारखाने में राइफलें, कार्बाइन तथा हल्की मशीनगनें बनायी जायेंगी । इसके लिये समूचे संयंत्र तथा मशीनें खरीदने के लिए 7.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है और 5.20 करोड़ रुपये की मशीनों के लिए सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक को आर्डर दे दिया गया है । इस कारखाने के लिये हमने कोई विदेशी सहायता नहीं ली है । चार करोड़ रुपये की लागत के अनैतिक कार्यों की मंजूरी दी जा चुकी है और कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है ।

हमारा विचार है कि हमारी सुरक्षा सम्बन्धी तैयारी के मामले में केवल संकटकाल आरम्भ होने के बाद बनाये गय कारखानों पर ही अधिक बल देना उचित नहीं है । इसीलिये हमने पुराने आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने की भी योजना बनाई है । इन कारखानों के आधुनिकीकरण पर लगभग 30 करोड़ रुपया लगेगा जिसमें से 15 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होंगे । इन कारखानों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में बड़ी प्रगति से कार्य हो रहा है । इसके लिये विदेशों से आवश्यक उपकरण मंगाये जा रहे हैं । आशा है आधुनिकीकरण का काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा ।

जहां तक सैनिक उपयोग की अन्य आम वस्तुओं के उत्पादन का सम्बन्ध है, पहाड़ों पर चीनी आक्रमण होने के बाद आम उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन के मामले में विशेष रूपसे बहुत ऊंचाई वाले तथा कड़ी सर्दी वाले स्थानों में युद्ध करने के लिये अपेक्षित कपड़ों के निर्माण तथा अन्य सुरक्षा संबंधी साज समान के उत्पादन के मामले में काफी प्रगति हुई है । मैं समझता हूं कि हम इस मामले में अपेक्षित मांग से भी अधिक उत्पादन कर रहे हैं । अतः माननीय सदस्यों का इस विषय में आलोचना करना निराधार है । हवाई जहाजों से समान पहुंचाने तथा गिराने के मामले में भी काफी प्रगति हुई है ।

चिकित्सा सम्बन्धी सामान और उपकरण, गर्मी पैदा करने वाले सामान, खाना बनाने के सामान तथा प्रकाश देने वाले उपकरण, मैदानों में आश्रय बनाने के सामान, वर्कशाप के लिये धातु की सैकड़ों चीजों तथा हाथ के औजारों को बांधने का सामान, पहाड़ों में पशुओं द्वारा वाहन के उपयोग का सामान प्रतिरक्षा संबंधी रसायनिक स्टोरों आदि के मामले में भारत काफी सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है ।

श्री रंगा ने रेडार स्टेशन स्थापित करने का प्रश्न उठाया है । विभिन्न रेडार स्टेशनों के लिये आवश्यक उपकरण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त हो रहे हैं तथा सरकार इन रेडार स्टेशनों को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिये कार्यशील है ।

हम संकटकाल आरम्भ होने के पहले भी कुछ कारखाने स्थापित करने का निश्चय कर चुके हैं । इस प्रकार का एक कारखाना भंडारा में स्थापित किया जा रहा है जो विस्फोटक का उत्पादन करेगा ।

चंडीगढ़ में आयुध केबल फैक्टरी स्थापित करने का कार्य अत्याधिक प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। इस कारखाने में सितम्बर, 1963 से निर्माण कार्य आरंभ हो गया है । इस कारखाने की वर्तमान क्षमता में विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है ।

टैंक बनाने के कारखाने में भी निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पुर्जे बनाये जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस कारखाने को स्थापित करने की योजना संकटकाल आरंभ होने से पहले ही तैयार की गई थी। माननीय सदस्यों को इन कारखानों के बारे सही जानकारी प्राप्त करने के लिये उन्हें स्वयं कारखानों में जाकर देखना चाहिये कि कितना उत्पादन हो रहा है।

माननीय सदस्यों को यह बात अनुभव करनी चाहिये कि कारखाने स्थापित करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम भी यह अच्छी तरह समझते हैं कि सुरक्षा संबंधी तैयारी का मामला सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा की कठिन समस्या के बावजूद भी सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग है। सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में सरकार समूचे देश का सहयोग चाहती है।

श्री दांडेकर का यह कहना गलत है कि सरकार प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी के बारे में कुछ नहीं कर रही है। माननीय सदस्यों को इस तरह की बातों का प्रचार करके जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बताया था कि इन दो आयुध कारखानों को क्यों स्थापित नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वक्तव्य में स्पष्टीकरण देने के बाद इस प्रकार के प्रस्ताव को सभा में लाना वांछनीय नही था। माननीय सदस्य श्री कामत पिछले दिन खाद्य मंत्री से झगड़ पड़े थे और आज प्रतिरक्षा मंत्री की बारी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उचित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। वह मामला उसी दिन निबट चुका था। मंत्री महोदय को विषय से बाहर की बात नहीं करनी चाहिए। वे अपनी बात के समर्थन में तर्क दें।

श्री अ० म० थामस : हम सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में काफी विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। आयुध कारखानों पर व्यय की जाने वाली राशि में भी काफी वृद्धि हुई है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मंत्री महोदय सदस्यों द्वारा उठाई गई बात का महत्व नहीं समझ पाये हैं।

श्री अ० म० थामस : संकटकाल के बाद हम पहाड़ी डिवीज़न बनाने पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री सभा को इस बारे में पूरी जानकारी देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अत: यह कहना गलत है कि सभा को विश्वास में नहीं लिया जाता है।

हम शीघ्र ही मिग विमान कारखाना स्थापित करने की सोच रहे हैं। साथ ही मैं भारत इलैक्ट्रॉनिक्स का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत इलैक्ट्रॉनिक्स में तीनों सेनाओं के लिये अपेक्षित दूरगामी वायरलेस तथा इलैक्ट्रानिक उपकरण बनाये जा रहे हैं। इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि वास्तव में इसके प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों के उत्पादन का मूल्य जो 1962–63 में 74 लाख रुपये था, वह अब बढ़ कर 1963-64 में 4 करोड़ 60 लाख रुपये हो गया। आशा यह है कि चालू वर्ष में यह राशि बढ़ कर 6 करोड़ रुपये की हो जायेगी। इस तरह काफी प्रगति हुई है।

हमें अपनी कठिनाइयों का पूर्णरूप से अहसास है और हम देश के खतरे के प्रति जागरूक हैं। हम अपने उत्पादन का ठोस आधार बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। हमारी नीति शांति की रही है अत: हमनें शस्त्रों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया परन्तु अब हम इस दिशा के नये क्षत्रों की तलाश में रहते हैं। यद्यपि आर्थिक विकास की दिशा में भी ध्यान दिया जाना जरूरी है, फिर भी प्रतिरक्षा संबंधी सामान के उत्पादन के मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काफी प्रगति हुई है।

उसमें भी कोई संदेह नहीं कि सरकार को कई नये नये काम करने पड़ रहे हैं। और यह बात स्वीकार करनी ही पड़ती है कि तकनीकी जानकारी तथा प्रशासनिक क्षमता का अभाव है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार इन कठिनाइयों पर काफी हद तक काबू पा चुकी है।

[श्री अ० म० थामस]

माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वयं इस बात को बताया है कि भारत के कितने स्काड्रन होंगे और अपने स्काड्रनों को सामान से लैस करने के लिये हम किस प्रकार रूस से कुछ मिग विमान प्राप्त कर रहे हैं। मेरे विचार में इस अवसर पर इन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Yashpal Singh : I want to know the reasons why instead of 6, 4 factories are to be established, whether it is due to the lack of money or there are other reasons?

श्री अ० म० थामस : आयुध कारखानों का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में एक से अधिक विशेषज्ञों के दलों ने अध्ययन किया है। जो दो कारखाने नहीं बनाये जा रहे हैं, उसका कारण उन दलों के परामर्श के कारण से है।

इलेक्ट्रानिक के बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार इलैक्ट्रानिक सामान का महत्व अनुभव करती है। परन्तु हमें स्थिति की वास्तविकता को भी देखना चाहिये। हमारी सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाये इसके लिये देश में अपेक्षित उत्पादन होने में कुछ समय लगेगा। यही कारण है कि सरकार इस तरह के सामान का विदेशों से आयात को बन्द नहीं कर रही। वैसे मैं यह कह सकता हूं कि गत दो वर्षों में भारत इलैक्ट्रानिक्स ने अधिकतम उत्पादन किया है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं सभी माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विवाद में भाग लिया है। जो कोई भी इस विवाद का अध्ययन करेगा उसे यह महसूस हो जायेगा कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन देश में सन्तोषजनक नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह आपातकालीन जिम्मेदारियों के बारे में अधिक सक्रिय तथा सजग हो। मंत्री महोदय सामान्य जानकारी से अधिक जानकारी का दावा करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान मंत्री अथवा उनके पूर्वाधिकारी सैनिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, जोकि इस बात का दावा कर सके कि उन्हें साधारण व्यक्ति से अधिक जानकारी है।

हमारी सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वर्तमान आयुध कारखानों को आधुनिक रूप देने के साथ साथ उसकी उत्पादन क्षमता का भी विस्तार कर रही है। और यह बात सरकार की ओर से कई बार कही गयी हैं। यह बात यों ही मान ली गई है कि वर्तमान कारखानों को आधुनिक रूप प्रदान करने का काम उचित गति से होता रहेगा। और उसके साथ ही उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। आयात भी किया जायेगा। वर्तमान कारखानों की आवश्यकताओं और योजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी जायेगी। 6 नये आयुध कारखानों की आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी। इस देश की अच्छी तरह रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। अतः सरकार को इन आश्वासनों को पूरा करना चाहिये।

अब मैं विदेशी मुद्रा की ओर आता हूं। इस संबंध में निवेदन यह है कि गत वर्ष इसके लिये ·700 करोड़ रुपये स्वीकृत किय गये। ऐसा करने से यह समझा गया था कि इस राशि से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी शामिल कर ली गई है। ख्याल था कि उससे सारा काम निकल जायेगा और यह समझा गया था कि मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षा के लिए विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी।

परम्परागत हथियारों की ही बात नहीं है, अब तो उत्तरी सीमाओं के पार से चीन के अणु बम का भी खतरा पैदा हो गया है। चूंकि चीन के पास वह विनाशकारी अस्त्र हैं और उसका निर्माण करने के विभिन्न साधन भी हैं, अतः परम्परागत हथियारों के मामले में भी हमारे देश की प्रतिरक्षा क्षमता उतनी अधिक अवश्य होनी चाहिए, और इस प्रकार हमें अपनी प्रतिरक्षा संबंधी शक्ति को उनके बराबर बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार ने जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् बनाई है वह प्रतिनिधि नहीं है और उसका गठन असंतोषजनक है। सरकार यह बताये कि क्या दो कारखानों को स्थापित न करने का निर्णय लेने से पहले इस परिषद् की भी सलाह ली गई थी। बताया गया है कि सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं है। इस वक्तव्य पर विश्वास नहीं होता। सरकार को सुरक्षा के लिये देश को तैयार करना चाहिए।

अन्त में मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सरकार इसी तरह से चलती रही तो इस बात के बावजूद वह इस सदन में बहुमत में है, और चुनाव भी जीत लेती है, इस पर भी उसे अपने पद से हटना होगा। सरकार राष्ट्र को इस तरह से नीलामी पर नहीं लगा सकती।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री द्वारा 20 नवम्बर, 1964 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं को 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य अर्थात् श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री अमल सिंह, श्री अ० शंकर आल्वा, श्री रामचन्द्र विठ्ठल बड़े, श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री बली राम भगत, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री नारायण दाण्डेकर, श्रीराजा पू० चं० देवभंज, श्री भास्कर नारायण दिगे, श्री गो० ना० दीक्षित, श्री गजराज सिंह राव, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री चेरियान ज० केप्पन, श्री रा० ना० यादव, लोनीकर, श्री मधु लिमये, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री शिवराम रंगो राने, श्री जु० रमापति राव, श्री र० वें० रेड्डियार, श्री ईरा सेम्मियान, स्वामी रामानंद शास्त्री, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री राधेलाल व्यास, श्री कृ० क० वारियर, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव, और श्री ति० त० कृष्णमाचारी और राज्य सभा के 15 सदस्य हों

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा नियुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

वर्तमान विधेयक का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि समवायों के कार्यों की छानबीन करने से सम्बन्धित उपबन्धों को अधिक सबल बनाने और निमित क्षेत्र में होने वाली बेइमानी तथा धोखेबाजी के मामलों को निपटाने के लिए अधिक प्रभावी लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ शर्तों को सरल

[श्री ति० त० कृष्णम्माचारी]

बनाने के लिए जो इस समय समवायों के लिए कठिनाई पैदा करती है और जिनसे सरकार को तदनुसार कोई लाभ नहीं होता । मेरा यह भी मत है कि विवियान बोस आयोग तथा दफ्तरी-शास्त्री समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक के 62 खंडों में से 19 खंड तथा 3 उपखंड उक्त आयोग तथा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही रखे गये हैं । खंड 13 में अनाम हस्तान्तरण रहने की अवधि पर रोक लगाने का उपबन्ध है। जैसा कि विधियन बोस आयोग ने बताया है, अनाम हस्तान्तरण की प्रणाली के कारण काफी दुरूपयोग होता है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन दुरूपयोगों को समाप्त करना है ।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक के खण्ड 46 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 370 में संशोधन करने का विचार है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी उपबन्ध है कि एक समवाय उसी प्रबन्धक के अधीन दूसरे समवाय को कोई ऋण नहीं देगा जब तक कि उधार देने वाले समवाय द्वारा एक विशेष संकल्प पारित कर के उस सौदे की अनुमति न दे दी जाये । इस समय समवायों के द्वारा परस्पर एक दूसरे को ऋण दिये जाने पर, यदि उधार देने और लेने वाले समवाय एक ही प्रबन्धक के अधीन न हों तो, कोई रोक नहीं है । परन्तु इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि समवायों के धन का उद्योगों के विकास के लिये समुचित उपयोग किया जाये और उस धन का दुरूपयोग न होने पाये, इस विधेयक के खण्ड 46 द्वारा ऋण की उस राशि को सिमित करने का उपबन्ध किया जा रहा है जो कि कोई समवाय एक संकल्प पारित कर के उधार दे सकता है, और इसके द्वारा यह बात आवश्यक कर दी गई है कि यदि कोई समवाय एक नियत सीमा से अधिक ऋण देना चाहे तो ऋण देने से पहले उसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी होगी ।

खंड 5 का उद्देश्य धारा 395 में संशोधन करना है ताकि बहुमत द्वारा स्वीकृत संविदा या योजना के अधीन विमति प्रकट करने वाले अंशधारियों के अंशों के अर्चन और "संभालच्चेन" की बोलियों के संबंध में होने वाली करीतियों को रोका जा सके । निरीक्षण, जांच तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी दूसरी श्रेणी के संशोधन खंड 21, 22 (ख), 24 से 28 तथा 88 में है । रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को अपने कामों को करते समय जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस अनुभव के आधार पर निरीक्षण और जांच संबंधी उपबन्ध वही खातों की जांच पड़ताल और समवायों के कार्यों की जांच के मामले में उन्हें सुविधा दिलाने की दृष्टीसे किये गये है ।

खंड 22 (ख) का आशय सरकार की इस बात का अधिकार देना है कि वह समवायों के संविहित लेखा परीक्षकों को उचित आदेश दे सके । जबकि खंड 24 का उद्देश्य सरकार को उन समवायों के संबंध में, जो कि उत्पादन, परिष्करण, निर्माण अथवा खनन सम्बन्धी कार्यों में लग हुए हैं, लागत लेखा-परीक्षा करवाने के लिये आवश्यक अनुदेश देने की शक्ति देने का है। तीसरे प्रकार के संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम के कुछ ऐसे रोधक उपबन्धों को सरल तथा नर्म बनाने का है, जिनके अनुपालन में अनावश्यक रूप से कठिनाई हो अथवा उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की तुलना में व्यय और श्रम अधिक होता हो। इस श्रेणी में 20 से अधिक खंड हैं और वे विभिन्न वाणिज्य मंडलों से प्राप्त सुझावों पर आधारित हैं । इस श्रेणी के पांच खंडों, अर्थात् 32, 33, 34, 41 और 57 का यह उद्देश्य है कि समवायों और उनके निदेशकों को समवायों के रजिस्ट्रारों को जो कुछ विवरण भेजने पड़ते हैं, उन की अवधि को या तो समाप्त कर दिया जाये या कम कर दिया जाये ।

खंड 61 में एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन है जिस में यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की अनुसूची 1 क में उल्लिखित सम्बन्धियों के वर्गों को, 40 से घटा कर 22 कर दिया जाये । सरकार ने यह निर्णय किया है कि 'संबंधी' शब्द की परिभाषा में संशोधन कर दिया जाय ताकि अनुसूची 1 क की मद 1 से 22 में उल्लिखित केवल निकट संबंधी ही इस परिभाषा के अन्दर आयें । खंड 62 का मुख्य उद्देश्य यह है कि समवाय द्वारा समवायों के रजिस्ट्रार को विभिन्न दस्तावेजों को देने के लिए 30 दिन की समान

अवधि निर्धारित कर दी जाये। इस अवधि को समान बनाने से वर्तमान स्थिति में बहुत सुधार होगा क्योंकि रजिस्ट्रार को विभिन्न विवरण देने के लिए इस समय निर्धारित अवधि 14 से ले कर 42 दिन तक की है।

खंड 53 का उद्देश्य सलाहकार आयोग से संबंधित धाराओं 410 से 415 को हटाने और उस के स्थान पर ऐसा नया खंड लाने का है, जिस से कि सरकार तथा समवाय विधि बोर्ड को ऐसे मामलों में परामर्श देने के प्रयोजन से एक सलाहकार समिति नियुक्त की जा सके, जो मामले समिति की सरकार अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे जायें। समवाय अधिनियम निश्चत ही एक नियामक विधान है और वर्तमान अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध तथा प्रस्तावित विधेयक के उपबन्ध इस उद्देश्य से रखे गये हैं कि निगमित क्षेत्र के काम अधिक कुशलतापूर्वक हों और पूंजी लगाने वालों, ऋण लेने वालों, आम जनता और सरकार को समवायों के काम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो।

हमारी अर्थ व्यवस्था विकासशील होने और हमारे संसाधन सीमित होने की दृष्टि से, आर्थिक कुशलता को बढ़ाने का सबसे अधिक महत्व है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समवायों को तीव्रगति से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बन कर अपना काम करना होगा। जब तक समवाय विधि के विनियमन संबंधी उपबन्धों को समय समय पर इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा कि वे देश बदलती हुई औद्योगिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बन सकें, तब तक इस अधिनियम को पुराने ढर्रे का अधिनियम ही समझे जाने का खतरा बना रहेगा। यही कारण है कि सरकार को वर्तमान विधेयक इतनी जल्दी लाना पड़ा है जब कि उक्त अधिनियम में दिसम्बर, 1960 और फिर 1963 में विशद रूप में संशोधन किया गया था।

विधेयक के प्रस्तुत होने पर विभिन्न समवायों से कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, मैं उन सुझावों को संयुक्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखूंगा। संयुक्त समिति उसका परीक्षण करके आवश्यक परिवर्तन करने के बारे में अपना मत व्यक्त करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विधेयक के लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है, सदस्यगण पन्द्रह से बीस मिनट तक का समय ले सकते हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इस विधेयक की व्यापकता विवियन बोस आयोग और दफ्तरी-शास्त्री समिति की सिफारिशों तक ही सीमित नहीं है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य आयोग तथा समिति की सिफारिशों को लागू करने एवं इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को, जो कि जांच करने तथा उनको सरल बनाने के बारे में हैं, सुदृढ़ बनाने का है।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन को ही पूरा मानकर सभा को वर्तमान विधेयक के सभी उपबन्धों को गम्भीरतापूर्वक विचार किये बिना स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। बोस आयोग ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 1913 के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी उन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 तथा संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा प्रायः दूर कर दिया गया है। इसी प्रकार दफ्तरी-शास्त्री समिति ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित बहुत से कमियों को दूर करने के लिये कम्पनी ला में पहिले ही संशोधन किये जा चुके हैं। आयोग तथा समिति द्वारा जो बुराइयां प्रकाश में लायी गई हैं उनको दूर करने के लिए वर्तमान विधि पूर्णरुप से पर्याप्त है।

कभी-कभी किसी पेचीदे मामले की बुराई को दूर करने के लिए कानून बनाया जाता है किन्तु हम देखते हैं कि नये कानून से और भी कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रस्तुत विधेयक भी विधि अनुसार दोषपूर्ण है क्योंकि इसका जन्म भी इसी प्रकार के पेचीदे मामले को लेकर हुआ है।

[श्री मी० रु० मसानी]

प्रख्यात वकील श्री पाल्खीवाला ने भी यह कहा है कि इस विधेयक में 61 बड़-बड़े परिवर्तन तथा 21 छोटे संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं और समवाय अधिनियम की धारा 350 बार-बार परिवर्तन किये जाने के परिणाम स्वरूप इतनी उलझ गई है जिसके छ: प्रकार से विभिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं। अत: इस विधेयक से सभी पेचीदे उपबन्धों को निकाल देना चाहिये।

यह विधेयक समयानुकल भी नहीं है क्योंकि पूंजी-बाजार सक्रिय नहीं है, औद्योगिक प्रगति शिथिल है। लोक पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं। उद्योगपतियों के सामने कठिन समस्या है।

मैं समझता हूं कि पूंजी लगाने वाले भारतीय व विदेशी लोगों के लिये इस विधेयक के परिणाम बहुत हानिकारक सिद्ध होंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने अक्तूबर में कम्पनियों के क्षेत्रीय संचालकों तथा रजिस्ट्रारों की दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में इस आशय की बात कही है कि कम्पनी ला बोर्ड को इस समस्या पर विचार करना चाहिये कि क्या सुव्यवस्थित उद्योगों में से प्रबन्ध अभिकरण पद्धति को क्षेत्रवार धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के वक्तव्य का प्रभाव पूंजी-बाजार के लिए हानिकारक होता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था तथा उद्योगों के विकास की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करता है। कम्पनीज अधिनियम की धारा 324 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है एक जांच समिति नियुक्त की जायेगी जिसकी उपपत्तियों के आधार पर सरकार किसी विशेष वर्ग के उद्योग-कम्पनियों के प्रबन्धक अभिकर्ता के पद को किसी विशेष तिथि से समाप्त किये जाने के बारे में सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित कर सकती है। अत: वित्त मंत्री महोदय से मैं यह आशा करता हूं कि वह इस बात का आश्वासन देंगे कि उक्त वक्तव्य उनकी केवल अपनी व्यक्तिगत राय थी जिससे कम्पनी ला और कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता। इसलिये सम्बन्धित वर्ग को इस वक्तव्य की गहराई पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने कम्पनी रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में यह भी धमकी दी कि वह कम्पनी की रक्षित निधि को रिजर्व बैंक में जमा करने की योजना को पुन: चालू करना चाहते हैं जिसे वह 1957 में उन्होंने लागू करने का प्रयत्न किया था। इससे उन कम्पनियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो अपना विस्तार करना चाहती है और जिन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये संसाधनों की आवश्यकता होती है जिनमें कि वह पूंजी का पुन: विनियोग कर सकें।

वित्त मंत्री महोदय का एक वक्तव्य सराहनीय भी है जिसमें उन्होंने यह कहा कि समाजवाद की प्राप्ति के लिये कम्पनीज अधिनियम को एक सैद्धान्तिक साधन नहीं समझ लेना चाहिये। किन्तु उनके उल्लिखित अन्य दो वक्तव्यों तथा इस विधेयक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह अपने कथन को व्यवहारिक रूप देना नहीं चाहते।

यह खेद का विषय है कि संयुक्त स्कन्ध समवाय (जॉइन्ट स्टाक कम्पनीज) को प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार एक के बाद दूसरा कानून लाकर उसकी कमर तोड़ रही है। यह आशंका है कि इस विधेयक का परिणाम भी उन्हीं विधेयकों की तरह होगा जो कि इससे पहिले आ चुके हैं।

खण्ड 13 का उद्देश अनाम हस्तान्तरण (ब्लैंक ट्रान्सफर) के बने रहने की अवधि पर प्रतिबन्ध लगाना है। अनाम हस्तान्तरण प्रणाली संसार भर में अंशों की जमानत पर धन एकत्रित करने का एक आम उपाय है। इस प्रतिबन्ध से हस्तान्तरणीयता पर प्रतिबन्ध लगेगा और धन जुटाने में कठिनाई उत्पन्न होगी। यदि इस खण्ड में समुचित संशोधन न किया गया तो हमारे पूंजी-बाजार को एक और धक्का लगेगा।

खण्ड 24 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार लेखा-परिक्षक के प्रतिवेदन को कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के पास भेजने का उपबन्ध अत्यन्त हानिकारक उपबन्ध है और इसे हटा देना चाहिए।

खण्ड 46 का उपबन्ध जिसका उद्देश्य अन्तर्समवाय विनियोजन (इन्टर-कम्पनी इनवेस्टमैन्ट) पर लागू होने वाले सिद्धान्तों को अन्तसमवाय ऋणों पर भी लागू करने का है जो कि गलत धारणा पर आधारित है और इसे हटा देना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि यह विधान संयुक्त समिति को भेजा जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त समिति प्रस्तुत विधेयक के हानिकारक तथा आपत्तिजनक भागों को हटा देगी।

श्री मुरारका (झुन्झनू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जस्टिस विवियन बोस की सिफारिश पर नहीं अपितु विव्रियन बोस आयोग के एक सदस्य द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है ।

1956 से 1964 तक की अवधि में कम्पनी ला में छः बार संशोधन किया जा चुका है और यह विधेयक एक ओर संशोधन करने वाला सातवां कानून है । वित्त मंत्री निगमों को होने वाली कठिनाई को अनुभव करने तथा दैनिक औपचारिकता को कम करने का उनका प्रयास सराहनीय है । फिर भी समवाय विधि पारित हो जाने पर यह विधि और भी अधिक कठोर हो जायेगी और इससे वित्त मंत्री महोदय द्वारा बताये गये उद्देश्य कदापि पूरे नहीं होंगे । 1913 में जो बुराइयां इस अधिनियम में घर की हुई थी उन्हें इस संशोधन के द्वारा फिर से पनपने का अवसर दिया जा रहा है ।

इस बात का कोई प्रमाण नही है कि वर्तमान कम्पनी ला के उपबन्ध बेकार हो गये हैं और आपत्तिजनक साबित हुये हैं । अतः इन परिस्थितियों को देखते हुये वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ; कम्पनी ला जैसे बुनियादि कानून में बार-बार इतने बड़े संशोधन नहीं किये जाने चाहिये ।

सरकार द्वारा किसी न किसी कारण अनुचित व्यवहार किये जाने से निगम क्षेत्र परेशान है, वह तीन मुख्य कठिनाईयों के कारण यथा–– विधान की कठोरता, प्रशासनिक भेदभाव तथा राजकोषीय कट्टरता से परेशान है ।

न तो विवियन बोस ने और न ही दफ्तरी शास्त्री समिति ने किसी वाणिज्य मंडल अथवा किसी व्यापारिक संस्था का साक्ष लिया है, लोगों की व्यक्तिगत राय चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध क्यो न हो, गलत भी हो सकती है । अतः इस विषय की जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिये । जब तक इसकी जांच न की जाये तब तक उनके बारे में विधेयक लाने में जल्दीबाजी करने का कोई लाभ नही है ।

मैं सदन को एक उदाहरण देकर अपने आशय को प्रकट करूंगा । निगम के सीमानियम में उद्देश्य खण्ड में विनियमन करने के लिये "विशेष प्रस्ताव" को महत्व दिया गया है जो कि केवल 26 प्रतिशत अंशधारियों द्वारा भी पारित किया जा सकता है जिसका तात्पर्य है कि सरकार अल्पमत को वीटो की शक्ति प्रदान कर रही है । मेरी समझ में वित्त मंत्री महोदय ने इस खण्ड पर स्वयं विचार नहीं किया है अन्यथा वह ऐसे खण्ड को इस विधेयक में सम्मिलित नहीं करते ।

समवायों का उद्देश्य खण्ड हमारे समवायों के लिये कोई नई चीज नहीं है । यह खण्ड बहुत पुराने समय से मौजूद है । इंगलैंड में भी इसको अपनाकर देखा गया है हाउस आफ लार्डस् इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि इस खण्ड के पीछे इतिहास का समर्थन है अतः यह बड़ा प्रभावी है और इसको बदलना गलत काम होगा । क्या कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों के प्रतिपादन के लिये सरकार का अभिप्राय अल्पमत ो वीटो की शक्ति प्रदान करने की है ? इससे कम्पनी के कार्य संचालन आदि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ।

आयकर अधिनियम के लिए एक पब्लिक कम्पनी को एक निजी कम्पनी माना जाता है और कम्पनीज़ अधिनियम के प्रयोजनार्थ निजी कम्पनी को पब्लिक कम्पनी माना जाता है । प्रशासनिक भेद-भाव का इससे अधिक उत्तम प्रमाण नहीं मिल सकता । कम्पनीयों के प्रति इस प्रकार की कठोरता का कोई औचित्य नहीं है विशेषकर जब कि सरकार सहकारी संस्थाओं को इतना अधिक प्रोत्साहन देती है ।

सरकार को निगमित क्षेत्र के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए । इस प्रकार के प्रशासनिक भेदभाव के कारण हमारा निगमित क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकता है ।

[श्री मुरारका]

जहां तक राजकोषीय नीति का सम्बन्ध है यदि वित्त मंत्रियों के परिवर्तित होते रहने की परवाह न करके वित्त मंत्रालय ने कोई निश्चित नीति अपनाई है तो वह यह है कि समवायों का भार लगातार बढ़ाया गया है। यह ठीक है कि देश के आर्थिक विकास के लिये धन की आवश्यकता है किन्तु कर इतने ही वसूल किये जाने चाहिए जितनी कि समवायों क्षमता है। अधिक कर लगाने से समवायों की पूंजी लगाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने के मामले में सरकारी समवायों तथा गैर सरकारी समवायों में भेदभाव की नीति से काम लिया जाता। अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार भेदभाव दूर किया जाना चाहिए।

जहां तक राजकोषीय विधि तथा कर सम्बन्धी विधि का सम्बन्ध है सरकार द्वारा अन्तर्निगम नियोजन को प्रोत्साहन दिया जाता है जब कि समवाय विधि द्वारा विनियोजन पर प्रतिबन्ध है तथा विनियोजन की सीमा निर्धारित है। अब सरकार ऋणों की सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है। इस प्रकार प्रदत्त पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक ऋण न दे सकने का उपबन्ध करना उचित नहीं है। यदि ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो समवायों के लिये वित्त संकट पैदा हो जायेगा और वे उन्नति नहीं कर सकेंगे।

यह संतोष की बात है कि यह विधेयक विचार किये जाने के लिये संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है। विधेयक के अनेक उपबन्धों पर संयुक्त समिति द्वारा बड़ी सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

1959 के अधिनियम में उपबन्ध है कि सरकार 15 अगस्त 1960 के बाद कभी भी प्रबन्धक अधिकरण प्रणाली को समाप्त कर सकती है। सरकार को इस उपबन्ध के अनुसरण में प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि यह प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है और अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि प्रस्तुत विधेयक विवियन बोस आयोग की सिफारिशों तथा भूतपूर्व सालिसिटर जनरल के विचारों के आधार पर लाया गया है।

अभी हाल में दिल्ली क्लाथ मिल की वार्षिक आम बैठक में सरकार से अनुरोध किया गया था कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को अभी दस वर्ष की अवधि के लिये और रहने दिया जाये। अतः वित्त मंत्री को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि यह प्रणाली इस देश में बनी रहेगी या इसे समाप्त कर दिया जायेगा।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।]

[Dr. Sorojini Mahishi in the Chair.]

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली नये समवायों के लिय अस्थायी तौर पर हितकर हो सकती है। इसे उन्हीं समवायों के लिये कुछ वर्षों के लिये बने रहने दिया जाये। किन्तु जहां समवाय अच्छी तरह स्थापित हो चुके है वहां इसकी आवश्यकता नहीं है अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

जहां तक विक्रेता अभिकर्ताओं का सम्बन्ध है, इनकी नियुक्ति अच्छी तरह योग्यता के आधार पर नहीं की जाती है। ये लोग प्रायः प्रबन्धकों अथवा मालिकों के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। अतः जब तक इनकी नियुक्ति पूरी तरह जांच कर के निष्पक्ष भाव से नहीं की जाती तब तक यह पता नहीं लगता कि अंशधारियों की स्थिति क्या होगी और उस विशेष समवाय में उनका विश्वास पुनः कैसे बनेगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए अन्यथा यदि इनमें बढ़ते हुए कदाचार फैलते गये तो बाद में वे दूर नहीं किये जा सकेंगे।

प्राय: देखा गया है कि समवाय विधि प्रशासन पर उद्योगपतियों का प्रभाव रहता है तथा प्रशासनीय मामलों को निपटाने में बहुत समय लगता है। अत: वित्त मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को समवाय विधि प्रशासन के सामने केवल इसलिये अपमान सहन करना पड़े क्योंकि दूसरा पक्ष एक बड़ा उद्योगपति है।

प्राय: देखा गया है समवायों में राजनीति चलती है। इनमें मंत्रियों अथवा भूतपूर्व मंत्रियों के सम्बन्धी अच्छे पदों पर रहते है और वे समवायों के कार्यो में गोलमाल करके जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार का एक मामला स्थायी मेगनेट्स लिमिटेड के बारे में प्रकाश में आया है। इस समवाय के बारे में भी हम बम्बई तथा गुजरात के समाचार पत्रों में काफी समाचार पढ़ते रहते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक भूतपूर्व मंत्री के लड़के का हाथ है। वित्त मंत्री को निष्पक्ष-भाव से इस समवाय की विस्तार पूर्वक जांच करवानी चाहिए।

मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि बड़े व्यापारिक समवायों के मामलों की जांच करने वाले निरीक्षक अधिकांशत: ईमानदार नहीं होते है। ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते हैं जिनमें निरीक्षक दोषी पाये गये है। अत: सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन निरीक्षकों को बड़े बड़े व्यापारिक समवायों के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त किया जाता है वे प्रमाणित सत्य निष्ठावाले व्यक्ति होने चाहिए ताकि लोगों में इस प्रकार की धारणा न बनने पाये कि पथभ्रष्ट व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त किया जा रहा है।

हम सभा में दीर्घ काल से यह मांग कर रहे है कि बिड़ला के दो समवायों की, अर्थात्, दि रुबी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी तथा न्यू एशियाटिक इन्श्योरेन्स कम्पनी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर यहां चर्चा की जाये क्योंकि इन समवायों के मामले में गोलमाल की आशंका है। किन्तु अभी तक उनके लेखा-परीक्षा प्रतिवदन सभा पटल पर नहीं रखे गये।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : माननीय सदस्य को विषय से बाहर की बात नहीं करनी चाहिए। किसी समवाय के बारे में यहां नाम लेकर कहना उचित नहीं है। वह मामला सरकार द्वारा जांच किये जाने के बाद निपट चुका है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे विषय से बाहर की बातें न करें। जो लोग यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में कहना उचित नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : इन दो समवायों के मामलों की जांच होनी चाहिए कि अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत क्यों नहीं किये गये हैं। वित्त मंत्री को चाहिए कि यदि किसी विशेष व्यापारिक समवाय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में गोलमाल की आशंका हो तो उसे सभा की जानकारी के लिये सभापटल पर रखें। यदि कोई समवाय अपने आपको निर्दोष साबित करना चाहे तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि उस प्रतिवेदन पर इस सभा में चर्चा हो।

यद्यपि समवायों पर नियंत्रण रखने के लिये प्रस्तुत विधेयक एक सराहनीय कदम है, तथापि यह और अधिक व्यापक होना चाहिये था। देश में व्यापारिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। आशा है संयुक्त समिति इस पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी। मेरा अनुरोध है कि संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य देने के लिये श्री जे० एन० हजारिका को बुलाया जाये। वह समवायों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव तथा जानकारी दे सकेंगे। इससे विधेयक में जो कमियां रह गई हैं वे दूर की जा सकेंगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है उनका कहना है कि यदि समवायों को इस प्रकार नियंत्रित किया गया तो समवाय पनप नहीं पायेंगे जिससे

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

देश में अपेक्षित पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकेगी । मैं इन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं । यह ठीक है कि देश के आर्थिक विकास के लिये धन की आवश्यकता है किन्तु जिन तरीकों से गैर-सरकारी समवाय धन कमाते हैं वह उचित नहीं है । अतः मैं समझता हूं कि समवायों में होने वाले कदाचारों को दूर करने के लिये इस प्रकार का विधेयक आवश्यक है । बोस आयोग तथा शास्त्री-दफ्तरी समिति के प्रतिवेदनों से यह बात स्पष्ट हो गई है निगमित क्षेत्र में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिये इससे भी अधिक सख्त विधेयक लाना चाहिये था । इन कदाचारों को रोकने के लिये सरकार जितनी चाहे उतनी शक्ति अपने हाथ में ले सकती है ।

यद्यपि सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के अधिकाधिक शक्तियां दी जा रही हैं और यदि आवश्यक हो तो सभा और शक्तियां भी देने के लिये तैयार है किन्तु समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों तथा वर्तमान अनेक कानूनों के बावजूद भी करापवंचन, अनाम हस्तान्तरण तथा अन्य प्रकार के अनेक कदाचार निगमित क्षेत्र के समवायों में अभी जारी हैं क्योंकि सरकार उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने में असफल रही है । यदि विधेयक में अनाम हस्तांतरण प्रणाली को पूर्णतः समाप्त करने का उपबन्ध किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[Mr. Speaker in the Chair.]

यह खेद की बात है कि समवाय विधि प्रशासन को स्थायी रूप से एक मंत्रालय के अन्तर्गत नही रखा गया है । प्रशासन के पिछले रिकार्ड को देखने से ऐसा लगता है कि इसने कोई काम सफलतापूर्वक नहीं किया है । कई बार प्रशासन अथवा सरकार को विभिन्न समवायों में होने वाले कदाचारों के बारे में सूचना दी गई किन्तु उन्होने समवायों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । मै सभा को बताना चाहता हूं कि "मुद्रा के मामले" का पता भी समवाय विधि प्रशासन ने नहीं लगाया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने अभी भाषण आरंभ किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

मोटरकारों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारें में चर्चा---जारी

DISCUSSION RE: MANUFACTURE, CONSUMPTION AND PRICE OF CARS—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन मोटरकारों के निर्माण, खपत और मूल्य के बारे में आगे चर्चा करेगी । इसके पहले दो घंटे नियत किये गये थे । अब तक 12 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और 18 सदस्यों की सूची मेरे पास है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह समय एक घंटा बढ़ाया जाये ।

उद्योग तथा संरक्षण मंत्रालय में भारी उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मेरे विचार से इस विषय पर आज ही चर्चा समाप्त की जानी चाहिए ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : यह महत्वपूर्ण मामला है । अतः इसमें समय का प्रश्न बीच में नहीं आना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय वादविवाद का उत्तर कल दे सकते है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री आल्वा अपना भाषण जारी करें।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : मैं मंत्री महोदय से पुछना चाहता हूं कि कारों के निर्माण, तथा विक्री के बारे में योजना आयोग चुप बैठा है। कार निर्माण सम्बन्धी नीति के लिय मंत्रालय उत्तरदायी है।

हमारे देश में इस समय केवल तीन कार निर्माता हैं जिन्होंने कारों के निर्माण तथा मोटर कार उद्योग के सम्बन्ध में देश को अनुचित रूप से तंग किया है। मैंने विदेशों में मोटर गाड़ियों के कारखाने देखे हैं। उनको देख कर मै इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि उन कारखानों को आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान बनाने के प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः हम जानना चाहते है कि क्या आवश्यकता पड़ने पर इन मोटरकार बनाने वाले तीनों कारखानों को तुरन्त युद्ध सम्बन्धी सामान बनाने के कारखानों में बदला जा सकता है। मै समझता हूं कि ये मोटर कार निर्माता देश को लूट रहे हैं। मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद भी ये तीनों गैर सरकारी समवाय अपने हिसाब किताब में हेर फेर करके घाटा दिखाते हैं।

आज देश में अनेक एकक सस्ती कारों का निर्माण करने के लिये तैयार हैं। हिन्दुस्थान एअर क्राफ्ट फैक्टरी के महा प्रबंधक ने प्रस्ताव रखा था कि फैक्टरी पांच हजार रुपये में कार बना सकती है। किन्तु सरकार इसके लिये तैयार नहीं है।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री छोटी कार में बैठना पसन्द करते थे। वे बहुत कम बड़ी कार में बैठते थे। जब हमारे देश के इतने महान नेता छोटी कार में बैठना चाहते थे तो समझ में नहीं आता कि सरकार फिर भी छोटी सस्ती कारों के निर्माण के पक्ष मे क्यों नहीं है।

आज स्वतत्रता के 17 वर्षों के बाद भी हम कारों के निर्माण मे कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं। समस्या पहिले जैसी ही बनी हुई है। यदि ये कार निर्माता सस्ती कारों के निर्माण की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो सरकार को कार निर्माण का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

इस समय देश में मोटरकारों का मूल्य बहुत अधिक है। बडे बडे उद्योगपतियों का रवैया ऐसा है कि वे छोटे उद्योगों को नहीं पनपने देता चाहते है। अब समय है कि संसद इस मामले पर विचार करे। उद्योगपति केवल धनी लोगों के लिये ही कार्य कर रहे हैं। अतः जब तक जन साधारण के लिए सस्ती कारों का निर्माण नहीं किया जायेगा देश प्रगति नहीं कर सकता है।

आज हमे बाहरी दुश्मनों का खतरा नहीं अपितु देश के अन्दर ऐसे समाजविरोधी तत्वों से खतरा है जो जनता का शोषण करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जब तक सरकार कार निर्माण का काम अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक पहिले जैसी ही समस्या बनी रहेगी।

Shri K. R. Gupta (Alwar) : It is really strange to see that on the one hand honourable members are putting forward certain priorities in the development plans and on the other they are talking about cheap cars. I am of the opinion that the question of the manufacture of small cars have to be carefully considered. Also we have to examine fully whether a cheap car could be included in the priorities fixed for the fourth five years' plan. If the Government think that it should be included and decided accordingly, it must go all out to manufacture it. If the Government have no mind to include it then Government should explain the State Policy in very clear terms.

[Shri K. R. Gupta]

I would like to draw the attention of the House to the fact that one thing which the Government have to see is that present conditions in the car manufacturing Industry have considerably improved. This is very important matter. Here in our country the quality of cars is very poor and the prices are very high. The prices are high as compared with the prices prevalent in almost all the neighbouring countries. In the circumstances the Government should either ask the manufacturers to improve the situation or it should take the entire trade in their own hands. In any case it is essential that the prices of the cars must be brought down.

It is really very sad that there is black market in the trade of cars. I think the first step the Government should take is to put an end to the black market in cars. The way of doing is that either the demand should be fully met or it should be regulated accordingly to certain priorities.

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : मैं किसी प्रकार की नारेबाज़ी से प्रभावित होने वाला नहीं। मैं तो तथ्य देखना चाहता हूँ। यदि हम निर्माताओं को गालियां देने से अधिक संख्या में कारे उपलब्ध कर सके तो अच्छी बात है। तीसरी पंच वर्षीय योजना में कारों का लक्ष्य 30,000 रखा गया था और जीपों तथा स्टेशन वैगनों की संख्या 10,000 निर्धारित है। आज जो सरकार कार के निर्माण का कार्य कर रहे है उनकी क्षमता 40,000 कारों की है। यदि उन्हें अधिक सुविधायें प्रदान की जाय तो बहुत सम्भव है कि यह संख्या और अधिक हो सकती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता कि इस प्रकार कारों का निर्माण करने वाले समवायों के, अपेक्षित विदेशी मुद्रा की सुविधायें प्रदान की है? क्या कारण है कि इस दिशा की पूर्ण क्षमता का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा।

मेरा मत यह है कि यह कहना ठीक नहीं है कि कार निर्माता बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे देश में सर्वत्र चीजों की कीमतें बढ़ी है। देशी पुर्जों के दाम, मजूरी और कर सभी में वृद्धि हुई है। हमारे विचार में हमें निर्माताओं के प्रति सद्भाव रखना चाहिए। दाम कई मामलों में 100 से 200 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं।

मेरा निवेदन यह है कि हमें निर्माताओं के लिए सद्भावना रखनी चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि वे किसी तरह अधिक लाभ कमाते भी है, तो यह मामला प्रशुल्क आयोग को भेजा जा सकता है। समस्त मामलों की जांच करने के लिए वैसे भी आयोग नियुक्त किया जा सकता है। वह आयोग इस बात की जांच कर सकता है कि इन लोगों ने कोई अनुचित लाभ तो नहीं उठाया।

मेरे विचार में पूंजीवादियों को गाली देने से हो सकता है कुछ लोगों को क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त हो जाय। परन्तु यह देश के तथा उद्योग के हित में नहीं कही जा सकती।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : यदि इस विषय पर ठंडे दिल से चर्चा की जाय तो किसी ठीक परिणाम पर पहुँचा जा सकता है। छोटी कार परियोजना का उद्देश्य यह था कि गरीब लोगों को सस्ती कारें उपलब्ध हो जांय। मेरे विचार में छोटी कारों के निर्माण की परियोजना ठीक ही है। इसमें कोई मुकाबलेबाज़ी का कोई प्रश्न नहीं है।

छोटी कार परियोजना का उद्देश्य हमारे अल्प श्रम वाले वर्ग की सहायता करना है। परियोजना को आरम्भ करने का बहुत अधिक महत्व भी है और इसका औचित्य भी है। इस परियोजना के बारे में सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कारे निर्माण करने की परियोजना को तो सरकार की उदासीनता से हानि पहुँची है। इस दिशा में श्री झा और श्री पान्डे का प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इस सस्ते वाहन के बारे में हमें किसी प्रकार भी मुकाबले की भावना नहीं होनी चाहिए।

हमारी अर्थ व्यवस्था इस को निर्माण करने योग्य है तो इसका निर्माण हो जाना चाहिए। इससे आर्थिक गति विधि को भी काफ़ी तेज किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त विदेशी विनियम का प्रश्न है जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी इसके लिए व्यवस्था की ही जानी चाहिए। सरकार को इस समस्या की ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : We are discussing the small cars. Pandey Committee and Jha Committee have put forward their recommendations that the small cars should be manufactured in the country. People also like that the small cars should be manufactured. Government should look to the sentiments of the people and decide about the manufacturing of small cars. But I submit that the prices of cars should not go ten times up. I can very well understand the rise in prices but this abnormal rise is uncomprehensible. Car should not cost more than 5,000 to 6,000 rupees. To day in the market the small car is being sold at 14,000 or 15,000 rupees. In our neighbouring country the small car is available at rupees 5,000 to 6,000. It is wrong to say our manufacturers are spending much and their cost is high. My submission is that Government should give a serious thought while fixing the price of the small cars. The interest of the people and not the interest of the manufacturers should be kept in view.

I am of the opinion that if this monopoly is brought to an end the private companies will be selling the cars very cheaply. The present unit has not been able to fulfil the demands of the small cars. The serious efforts should be made to improve the situation and to end the monopoly in this matter.

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : मैं इस बात का समर्थक हूँ कि कार निर्माण उद्योग को खुला छोड़ दिया जाय। मुझे हर्ष है कि जो कि खुली अर्थ व्यवस्था अथवा खुले मुकाबले के समर्थक है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। तिसरी पंच वर्षीय योर्जना के अन्तर्गत 30,000 कारों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दोनों पारियों में काम करते हुए हमारी आज की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 40,000 कारों की है। खेद का विषय यह है कि इस पर भी हम केवल 20,000 कारें ही वार्षिक निर्माण कर पा रहे हैं। इसके साथ ही यह हर्ष की बात है कि निर्माताओं ने लगभग 90 प्रतिशत पुर्जें भारत में ही निर्माण करने आरम्भ कर दिये है।

प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि क्षमता 40,000 की होने के बावजूद 20,000 कारों का ही निर्माण हो रहा है। हो सकता है कि आगामी वर्ष से 30,000 प्रति वर्ष उत्पादन करने लग जाये। देश में पुर्जे बनाने का लक्ष्य 90 प्रतिशत का है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा। इस संदर्भ में एक बात आपको समझ लेनी चाहिये कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य स्थिति देशी उद्योगों की अभी नहीं है। वैसे आशातीत प्रगति हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब कि स्थिति ठीक हो जायेगी।

आज तो विदेशी विनिमय की स्थिति भी बड़ी विकट है। वर्तमान कठिनाइयां इस दिशा में इतनी बढ़ गयी है कि अब सरकार उद्योगों के लिये जो विदेशी मुद्रा का कोटा निर्धारित है उसे भी 10 से लेकर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक कम करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चीनी हमलों के कारण भी स्थिति काफी बिगड़ी है। चीनी आक्रमण के तुरन्द बाद विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों द्वारा विशेष रूप से उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रतिरक्षा सेनाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी लिए हुए थे इन छोटी छोटी कारों की मांग करते रहे हैं। इन लोगों की मांग काफी संख्या की है इस पर भी मांग पूरी नहीं हो रही। कारण यह कि इन कारों का निर्माण क्षमता के अनुसार हो नहीं रहा।

[श्री नारायण दांडेकर]

जहां तक इन छोटी कारों के मूल्य का सम्बन्ध है यह कुछ अधिक है। अन्य देशों में इस तरह की कारों का जो मूल्य है उससे यहां मूल्य $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक है। वैसे यह ठीक है कि उत्पादन व्यय विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। भारत में तो 1957 से कारों के मूल्य पर नियंत्रण है। इस पर भी समय समय पर कीमतों में परिवर्तन होता रहा है। छोटी कारें 6,000 रुपये से 6,500 रुपये तक निर्माण हो सकती हैं। इसमें सभी कर बीच में शामिल किये जा सकते हैं। इससे जनसाधारण को काफी लाभ हो जायेगा।

श्री प्र० चं० बरूआ (शिवसागर) : इस देश में हमने एक समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कल्याणकारी राज्य में सामान्य जन को सामने लाया जाना चाहिये। यह ठीक है कि इस देश में कारों का प्रयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, फिर आज के युग में कार की उपयोगिता तो है ही। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम विकसित अर्थ व्यवस्था में से गुजर रहे हैं, अत: हमारी आवश्यकताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें कुछ वर्ष तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी।

हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि कारों के निर्माण के साथ साथ स्कूटरों और स्वचालित रिक्शाओं के उत्पादन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। बसों का भी अधिक उत्पादन होना चाहिये। कारों के उत्पादन का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 50,000 है, क्षमता 40,000 एककों तक पहुंच गयी है, 10,000 एककों की और वृद्धि करनी है। इस बात का भी प्रयत्न करना है कि और अधिक विनियोजन न करना पड़े और जो भी वर्तमान व्यवस्था है उसके अन्तर्गत ही यह वृद्धि हो जाये। विस्तार इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हम 50,000 कारों का वार्षिक निर्माण कर सकें।

कार 1930 में 2,000 रुपये में मिलती थी, 1958 में इसका मूल्य 10,000 हो गया और अब यह 15 000 अथवा 16,000 रुपये में मिलती है। कर इत्यादि निकालकर लागत 11,000 रुपये 12,000 रुपये तक फैलती है। विदेशी कारों से मूल्य में लगभग 1,700 रुपये का अन्तर पड़ता है। कर इत्यादि निकाल कर कोई विशेष अन्तर नहीं रहता। वैसे हमारी कारें काफि घटिया कोटि की हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इनमें मानक से घटिया प्रकार के पुर्जों का प्रयोग किया जाता है। अत: यदि हम चाहते हैं कि इन कारों की कोटि न गिरे तो हमें पुर्जे पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिये। इससे कारों की कोटि में वृद्धि हो जाएगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरे विचार में छोटी कारों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसके मूल्य का है। भारत में श्रम सब देशों से सस्ता है फिर भी कारों का मूल्य तुलनात्मक रूप में बहुत ही अधिक है। मलाया में कार 4,000 रुपये में मिल जाती है। 700 रुपये खर्च करने पर नया इंजिन बदलने के लिये मिल जाता है। समझ में नहीं आता कि भारत में कार 12,000 अथवा 15000 रुपये तक क्यों मिलती हैं। भारत में कारों का मूल्य ऊंचा हो इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ में नहीं आता कि हमारे यहां कारों का मूल्य इतना अधिक क्यों है।

यह बात सचमुच खेदजनक है कि किसी व्यक्ति को फियट और कोई अन्य कार लेने के लिये वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह स्थिति वास्तव में बहुत ही शोचनीय है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक वर्ष अथवा छ: मास के भीतर उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी? क्या इसे अपेक्षित स्थिति तक ले आना संभव नहीं? हम जहां हैं उसी स्थान पर ही रहेंगे तो निश्चित रूपमें हमारे प्रशासन में कुछ खराबी है।

विदेशी विनिमय की हम बात कर रहे हैं। छोटी कारों के लिए तो हमें विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी ही होगी। यदि हम सस्ती कार का निर्माण नहीं कर सकते तो मैं निवेदन करूंगा कि कार के आयात की अनुमति दे देनी चाहिये। 50,000 लोग कार लेने की प्रतीक्षा अनुसूचि पर हैं।

Mr. Speaker : Shri Prakash Vir Shastri wants to ask certain questions. He may ask now.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** My first question is whether the three companies which are engaged on the production of small cars can produce forty to forty-five thousand small cars annually if the necessary facilities are provided to them, And if they are capable of doing this much by availing themselves of these necessary facilities, what is the difficulty that comes in the way of the Government to provide them these facilities. My second question is whether the Government propose to establish a small car factory in the public sector, and if so, is it advisable to spend such a big amount on this project in the present circumstances ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर चर्चा समाप्त होती है। माननीय मंत्री अगले सप्ताह इस बारे में उत्तर देंगे।

†पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

†DEVELOPMENT OF HILL AREAS

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैंने 1 दिसम्बर 1964 को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Shri Deputy Speaker in the Chair]

भारत में पहाड़ी क्षेत्रों की तीन बड़ी श्रृंखलायें हैं। एक नेफा से लेकर लद्दाख तक, दूसरी विंध्या का पहाड़ी क्षेत्र और तीसरा नीलगिरि क्षेत्र। इन क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। चीनी आक्रमण के बाद ही सरकार का ध्यान इस ओर गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस मामले की जांच करने के लिये शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया था। उस समय हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी एक संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के आक्रमण के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का महत्व बढ़ गया है। इन क्षेत्रों में संचार खेतीबाड़ी और उद्योगों का विकास होना चाहिये और वनों की रक्षा भी की जानी चाहिये। ऐसा संदेश उन्होने भेजा था। इस सम्मेलन के बाद एक केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति बनाई गई। इस समिति ने पहला यह निर्णय किया कि आगामी दस वर्षों के अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक नक्शा तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जाये। दूसरा निर्णय यह किया गया कि केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र सलाहकार समिति द्वारा उस नक्शे पर विचार किया जाये। यह भी निर्णय किया गया कि नक्शा अच्छी तरह तैयार करवाने तथा उसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र में एक यूनिट स्थापित किया जाये। इस बारे में एक अतिरिक्त कृषि आयुक्त भी नियुक्त किया जाना था। यह भी निर्णय किया गया था कि इस नक्शे को योजना आयोग को भेजा जाये ताकि वे इस बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक राशि निर्धारित कर सके।

अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। अभी तक इस सम्बन्ध में न ही तो किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है और न ही कोई नक्शा तैयार हुआ है। योजना तैयार हो जाने के बाद सरकार पहाड़ी क्षेत्र की मंत्रणा समिति को यह आश्वासन कैसे दे सकेगी कि उन क्षेत्रों के विकास के लिये अपेक्षित धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। ये सीमा क्षेत्र हैं और इनका आर्थिक उत्थान होना ही चाहिये। केवल सेना से ही इन क्षेत्रों का बचाव होने वाला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन बातों की ओर दिलाता हूं।

---

†आधे घंटे की चर्चा।
†Half-an-hour discussion.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे खेद है कि इस समय सभा में सब मिला कर केवल 13 सदस्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजायी जा रही है । हम ने पांच मिनट तक प्रतीक्षा कर ली है । सभा में कोरम नहीं है । सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1964/27 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 18th December, 1964/Agrahayana 27, 1886 (Saka).

GIPN—S 2—12 Lok-Sabha/65—21-7-65—600.